

The same day Shri Gupta raised the matter in the House also. On the, 22nd December, 1977, he again raised the matter in the House. And he has done so today also. The notice of the. alleged breach of privilege raises two issues, namely:

(i) That the censor's guidelines in regard to Parliamentary Proceedings were framed after obtaining the clearance and approval of the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha; and

(ii) that a room in Parliament House was set aside for this purpose for use of the censors.

As far as the Chairman is concerned, I would like to state that the Chairman did not receive any communication from any Minister seeking his approval or clearance to the, guidelines in the matter of pre-censorship of the Rajya Sabha proceedings. So far as the allotment of a (room in the Parliament House for' use of the censors is concerned, I may add that no room was allotted by the Rajya Sabha Secretariat for the purpose.

The Loader of the House who spoke on December 20 stated that he, had already addressed a formal communication to the Speaker, Lok Sabha, drawing his attention to the particular paragraph in the White Paper. As per the direction of the Chairman, an inquiry has been made from the Lok Sabha Secretariat in the matter.

SHRI BHUPESH GUPTA; There is no operative portion...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock [Mr. Deputy Chairman in the Chair.]

**RESOLUTION RE. DETERIORATING  
LAW AND ORDER SITUATION IN THE  
COUNTRY AND GROWING  
ATROCHTES ON HARIJANS AND  
OTHER WEAKER SECTIONS OF THE  
SOCIETY AND CREATDXG AN AT-  
MOSPHERE OF CONFHJENCE AMONGST  
THEM—contd,**

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I have already moved my .Resolution and in support of that I want to say something,

A few months ago, the top leaders of the Janata Party have reiterated their call for a total revolution. Sir, the common man must certainly have understood that the slogan 'total revolution' meant food for the hungry, clothes for the naked and houses for the homeless. But the achievements of the last eight months show that the country is going in the opposite direction and the revolution is neither total nor partial. This confirms our fear that those whom the people swept into power are neither of the people nor for the people. Sir, I am reminded of a couplet by Iqbal:

'यह तो उनसे पूछिये जो मर रहे हैं भूख से,  
आप क्या जाने कि कैसा इन्कलाब आने को है ।'

Sir, they do not know anything about revolution. They have talked about revolution...(Interruptions).... Sir, I place this Resolution before the House with a very heavy heart. The chaotic economic condition of our country, the growing indiscipline in colleges and schools, the marked rise in prices, together with the fast deteriorating law and order situation, the continued atrocities on

[Shrimati Hamida Habibullah]

the Harijans and the weaker sections of the society, are all matters of great concern, to all of us.

Sir, we all remember that more than eight months ago, this Government came to power, this Party came to power, having announced its intention with great fanfare, assuring the people of solving their problems of unemployment and poverty, and if the people had been given freedom from want, we would have welcomed it. But, instead, it seems that those people in charge of law and order have abandoned all social obligations. Granting freedom to anyone, whether he be or be not an anti-social person, a dacoit, a murderer, a thief, a smuggler or a blackmarketeer is not good and in such a climate, a law-abiding citizen can scarcely go unscathed. It is a well-known fact that if one reports to the police, more often than not, the case is not registered and even if it is registered, then it is not taken notice of. Sir, this state of affairs reminds me of an Urdu couplet again:

“जिनकी आत्मद की गुलशन में धूम थी,

वो बहार आते आते कहां रह गई।”

आपने तो बहुत वायदे किए थे, वे क्या हो गए ?

While talking about freedom, I would like to say, Sir, that it is quite clear to all of us that the Akashvani never gives any news that is not favourable to the Janata Government. In fact, it goes so far that it suppresses news of public importance like the news about the Kanpur Swadeshi Mill tragedy of the 5th December in which 40 people were killed. Is this freedom of the news media? Of course, all the newspapers and the Akashvani are free to highlight the news of the Shah Commission, can condemn the former Prime Minister and the former Government as much as they can and, in fact, as much as possible. Therefore, this Government is being

termed as a Government for inquiry commissions and of inquiry commissions. While the faults of the previous Government are being highlighted, the present murders, saboteurs and others are given a free hand to carry on their activities. Just examine the conditions prevailing in Delhi itself. Under the very nose of the Janata Government, only last week, Sir, it became known that the number of stabbing cases arriving at the Jayaprakash Narayan Hospital was ten times the number of those arriving in the corresponding period of 1976, not ten per cent more but ten times more. The ghastly tales of the gruesome murder of the innocent people like Mrs. Sawhney and her servants and Mrs. Khanna, the wife of the ex-Judge of Delhi, are too painful to be repeated here. But the present condition seems to be like the peace of the grave and the security of the devil so far provided to our innocent people. In almost all the States, where the present rulers, who call themselves the Janata Party, are governing, chaos rules, fear is beginning to stalk the land. No woman feels safe to move out alone. The party bosses are not the only bosses for all to fear; their relatives and henchmen also prevent the law and order machinery from working. Only the other day, Sir, there was a Statewide stir in UP because the member of a Minister's family slapped a constable on road duty. When the police tried to act, it was they who were proceeded against through the higher government machinery. We tried, for Government's sake, to examine the regrettable riots in Lucknow, Kanpur and Banaras. But, one of the Ministers, well known for his abnormal and rather rude conduct even before he became a Minister, prevented us from speaking on behalf of the people in whose name we hold office. He has shown that politics is to him anything but responsibility to the people. That is not surprising. But what is surprising is the massive efforts of this Government and its henchmen to play down the tragedies

of Lucknow and Banaras and to pretend that very little, if anything, had happened. We can assert here, Sir, without fear that hundreds of people have died and many more injured in these three cities. You may put on a pious look and quote figures, such as eight and four killed. You may think that you are fooling us. You may fool some of those who live in Delhi or the States which you govern. But I ask you: Are you fooling the people who live in those places where the tragedies have taken place? Will the people of Banaras, Kanpur and Lucknow believe you? Will the people of Delhi, UP and other States go on taking you at your own valuation? Lucknow has given you its reply in no uncertain terms. In spite of the free exercise of distortions by the All India Radio and the Door-darshan and in spite of the clear breach of rules whereby no electioneering is permitted on the eve of the poll, in Lucknow, during the recent elections, the Akashvani and the Doordarshan were utilised by the Janata Government in support of the candidates on the eve of the election.

This I say with full responsibility, Sir. We are standing up for the truth, giving a gesture of friendship. To our heterogeneous and self-satisfied friends sitting in the treasury benches, we are reflecting to them the voice of the people that clearly says that matters are slipping. It says: They are not able to govern under the rules. It says: They must remember what Shakespeare wrote. "The fault lies with us and not with our stars, dear Brutus". Why not hold proper enquiries on real problems? Can the deaths that are taking place be washed away with waters of indifference and the denial of information being truly and faithfully reported to the people?

Sir, it is true that my party has lost the election in the northern regions but, after all:

“गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, वह बच्चे  
क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे, उठेंगे  
गिरते उठते ।”

The last Government did begin to give land to the landless. It did pass legislation to free bonded labour. It followed this up by measures for seeing that these were implemented. Obviously, the orders were to strengthen weaker sections. This meant the obligation to restrain the bonders and the previous owners who still are the more powerful and influential people in their locality. Anyone sincerely wishing to carry out such a plan will have to see that its implementation is carefully supervised. But the Janata Party had shirked that duty. Devi Lai in Haryana is more interested in removing Saroj, his 'bete noire', than in winning the co-operation of Jat land-holders to hand over quickly to Harijans. In Bihar, the massacre of Belchi will for ever loom as a shadow of shame over the Janata Party's heads. In XL P., the same disregard of realities of problems has given a free hand to local political ruffians. This is not surprising, for the very base of many of the hon. Members is the support of the caste crazy careerists. Take the seats chosen for the Chief Ministers of Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar. Their analysis will show you clearly that it is not because the party of the last winning candidates were particularly popular there. The principal guiding factor is the caste composition of the constituency. The caste and near caste of these candidates being predominant, the seats have, therefore, been allotted. So, when tribalism is uppermost, we can scarcely expect such people wedded to these ideas to help or to save. Every indication is that groups and tribes will thrive. So we can say that the break-up of the rural areas will increase and the down-caste will be further cast downwards. Bitterness and strife will lead to violence and loosen the ideas of respect for the arm of the law. This is exactly what

[Shrimati Hamida Habibullah]

happened in Hardwar. as soon as the Janata Government came into power in U. P. The well-to-do landlords of that area just started grabbing all the land that had been cultivated by the poor Harijans. When the Hari-jans showed resentment, they were beaten up mercilessly and reported to the police. The police would have taken the side of the landlords, but luckily, some MLAs and their friends saved the Harijans from further punishment.

Even the Minister, Shri Mandal, has had to confess to 215 cases of murder of Harijans since the 1st of March, 1977, and also to 166 cases of rape during the same period. These we may accept as normal Government understatements, to which we are becoming accustomed. But even by themselves these figures are enough to horrify us. Of the 215 murders reported, 13 are from non-Janata governed States, the remainder 202 are from under Janata rule. Of the rape cases, 14 are from non-Janata States and the remainder of 152 from under Janata party oppression. We can quote murders where the police who came, have gone back without doing anything. There is not a district where crime is not going up. But I will not ask the Government to quote the official figures. They will, I feel certain, be modified for consumption by the House. But, Sir, we live amongst the people; you must remember that. There is one district where the average number of post-mortems on corpses coming through the police average two to three per day, but the official statistics indicate that the whole State does not show that figure. On top of all these daily murders and atrocities, we witness the death of hundreds of our people through railway accidents. There have been 515 railway accidents, according to the official figure and according to the Minister of Railways who has stated that no less than seventy accidents are due to sabotage another

clear indication of the rapid breaking down of the law and order situation.

Sixty universities of India are shut for one reason or another. Violence has broken out in most. Just 40 miles away from here, Meerut is one of the recent casualties through violence where heads of youths have been broken in confrontation with the police. The incompetence and misjudgement of this Government is more dangerous for the future of India than in any other sphere because it is destroying the souls and character of tomorrow's leaders. There is no longer premium on brain power in these institutions. Premium is on what you can get away with and on the extent of it. I would appeal to the Government that if they can't find employment for our youth, they should at least safeguard their mental and educational progress. The sum total of this massive incompetence is shown in the ostrichlike hiding behind the name of Gandhiji. Therefore, what we all know to be the Home Minister's personal philosophy is now called the Gandhian economic philosophy because it has been adopted by the Janata Party. Their economy will perpetuate want and leave India backward. It is no use thinking that any economy can, in the 20th century, run on, leave alone grow on, the leadership of a rural economy. Industrial economy is the hallmark of the industrial age. It was the Industrial Revolution that gave England's rural sector an enormous fillip.

If they persist in their present power of pseudo-economics, the Janata Government will lead the country to ruin. The export volume and the foreign exchange balance has come after years of effort. Not only will the Government be setting the hand of the clock back, they are already undoing what has so wearily been achieved so far by the Congress. Many factories are already closed. The public sector is in the doldrums and the ghastly sequence of events in Kanpur.

which is totally anti-workers, is before our very eyes. The gloomy, picture, therefore, is that on the one side there is the misery and starvation of the workers and on the other side, there is the falling of production. To sum up, far from giving us hope of "Freedom from Want", more and more people of the low income are going below the starvation line. Rising prices are getting out of hand. Necessities of life are gradually becoming out of reach of most of the population. Road transportation vehicles, because of the chaotic distribution system, are standing about for lack of demand. The law-abiding citizen is hoping against hope that something will be done to restore his confidence, but there is no silver lining to his dark cloud.

Mr. Deputy Chairman, Sir, one of the constituents tagged on to the ruling party is the Muslim Majlis. It fights its election on the basis of protection and equality of minorities. It had, for some unknown reason, said that if it is returned to power, it would see that Muslims were properly given a full sense of security. It promised jobs for the unemployed Muslims. It also said that it would see that Urdu would be made the Second Official language in several States. The party's third emphatic claim was that if returned to power, they were definitely going to establish the minority character of Aligarh Muslim University. As far as Urdu is concerned, the Congress has never accepted the fact that this is the language of the Muslims. The Urdu we know has been the lingua franca of the entire Indian freedom struggle standing above caste, creed and religion. It is on that basis that our secular demand is based on wanting Urdu as the second official language in several States. Those who com-munalize it denigrate their own country's cultural heritage. Those who deny its general image only retard the progress. A large section of their own countrymen, pronounced amongst such people are the hon. Ministers of Home and Health, Leaders of the

Government supported by the Muslim Majlis, realise the importance of Urdu. We know that no one realised Urdu's importance and rights more than Mahatma Gandhi. That is why he clearly laid down and reiterated that the lingua franca of free India would be 'Hindusthan' in two scripts, Devnagri and Urdu. He wanted a language for the common people of India, people of the bazaars and streets and the Defence personnel. He realised the chasm growing between the scholarly and the ordinary people that would become visible. One of the main reasons for growing regionalism today is the imposition of difficult terminology and distortion of language, beyond the convenient comprehension of the masses. But what would be interesting to know is how effective our friends of the Majlis, concealed in the Janata conglomeration have been in doing anything at all to fulfil their plausible promises.

Sir, the information media is being totally misused and the Press is also completely in the hands of millionaires. They are helping to suppress the realities and keeping back the information on omissions and commissions. Enquiry commissions are throwing up all kinds of information of a sensational and insinuating nature. These also help to conceal the stark realities of life around us—problems of the people and the outbreaks of communal violence. These are for what the Commissions of Enquiry are required. Sir, all this reflects the incompetence and the absence of dedication in the ruling party. The composition of that party is not only of contradictory elements but it does not reflect a sustained historical connection with the freedom movement to which our greatest leaders were dedicated. No wonder the caste system is growing apace in the body politic of this country. The Janata Party is fanning its members to keep itself warm.

Sir, much of the good that the last Government did is being interred deeply so that the evil that the men do will live after them. In this environ-

[Shrimati Hamida Habibullah]

merit, the salaried class and the civil servants are demoralised and feel unhappy together with the lower classes, castes and categories.

Sir, death is not only stalking the people in the streets but sudden death has followed them to their homes and on to the rail roads. One of the Janata Party Ministers has publicly boasted that he had a hand in no less than 53 railway sabotage incidents in the past. Therefore, 70 sabotage incidents in the last eight months is a natural consequence of their own past deeds. Sir, does it not look as if the policy of the Janata Government is to justify everything which they do, but if the same is attributed to the former Prime Minister or the former Government, it becomes a crime? Sir, on the 7th of December, Mr. Justice Shah said to the former Haryana I.G.P., Mr. S. S. Bajwa, and I quote: "Are you aware that under the Motor Vehicles Act, trucks cannot be used for transporting human beings from one place to another? Was it in your knowledge that this was being done? What action did you take?" Sir, the reference was to the public rallies held all over Haryana in support of the former Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. But on Friday, the 23rd December, Sir, hundreds of trucks drove into the capital again from the neighbouring States carrying thousands of people. Sir, was this not a violation of the Motor Vehicles Act? Was this gross violation of law justified because it was to celebrate the Home Minister's birthday?

Lastly, we are observing with a sense of depression that through the incompetence and maladministration of this Government, the whole nation stands on the brink of a disaster—disaster by famine and disaster by discontent and chaos.

Sir, I am again reminded of an Urdu couplet:

‘कभी खुद पै कभी हालात पै रोना आया,  
बात निकली तो हरेक बात पै रोना आया ।’

Therefore, I appeal to the Government to take immediate steps to restore law and order in the country and to create an atmosphere of confidence among the Harijans and the weaker sections of the society. Thank you, Sir.

*The question was proposed.*

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) :  
आदरणीय उपसभापति महोदय, यह बहस चल रही है और देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि यहां मौजूद रहना चाहिए क्योंकि उन्हीं के गृह मंत्रालय में यह मार काट, खून कल्ल का बाजार गर्म रहता है और उन के कारण ही देश के इन हरिजनों की जिन्दगी खतरे में पड़ी हुई है। (Interruptions) आप तो अच्छे मंत्री हैं। उन से मैं क्या कहूँ। लेकिन यहां तो चौधरी साहब को रहना चाहिए। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि जिन के नेतृत्व में आज सारे देश में तबाही हो रही है और बर्बादी का आलम मचा हुआ है। उनको को यहां रहना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Khurshed Alam Khan to move his amendment.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi): Sir, I beg to move:

"That in line 4 of the Resolution, after the word 'society' and before the words 'this House', the following be inserted; 'and also taking into consideration the role played by the police and the PAC in the recent disturbances'."

*The question was proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Resolution and the amendment are now open for discussion.

श्री खुरशीद आलम खान : जनाब मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे जो कानून का इंतजाम करने वाले हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं यानी पुलिस, अगर वही कानून का इंतजाम

अपने हाथ में लेकर उसमें खराबी पैदा करें तो यह बताइये कि वह कमजोर तबके, वह कमजोर लोग जिनकी खातिर यह रेजलूशन लाया गया है, वह किस प्रकार भरोसा कर सकते हैं, वह किस की तरफ देख सकते हैं, वह किससे उम्मीद लगा सकते हैं ? आज हमारे मुल्क में, हमारे समाज में ऐसे हालात हैं, हम ऐसे हालात से लाचार हैं कि आदमी को अपनी जान और इज्जत तथा अपनी गुरवत किसी भी चीज के बारे में यकीन नहीं रह गया है कि वह महफूज रहेगी। उसकी इज्जत महफूज रहेगी या जान महफूज रहेगी। इस लिए जो हमारी इज्जत, जो हमारी जान महफूज करने के लिए हमारे टैक्स में दिए हुए पैसे से तनख्वाह पाते हैं वहां हमारी इज्जत लूटने पर, हमारी जान को खतरे में डालने पर उतर आये हैं तो हम क्या करें ? हम किससे कहें ? हम किसके पास फरियाद लेकर जायें ? हम जानते हैं कि यहाँ जो दो दो मंत्री बैठे हुए हैं वे दोनों ही इसी तरह से बैबस हैं जैसे कि यह फरियाद करने वाला बैबस है।

हमारे मुल्क में जो कानून की आज हालात हैं मैं समझता हूँ कि ऐसी बदतर हालत अब से पहले कभी नहीं थी। जिस हालत में हम पाये जाते हैं उस हालात में हम पहले कभी नहीं थे। यह मैं कहता हूँ कि खास तौर पर हरिजन या कमजोर तबके सदियों से पीड़ित रहे हैं, उन पर जुल्म होते चले आये हैं, यह दरअसल एक रीति बन गई है कि उनको हक देने से हमने हमेशा इंकार किया है, उनको हक देने से इंकार ही नहीं किया है बल्कि उन पर तरह तरह के जुल्म किये हैं। उन पर जुल्म होते रहे हैं और वे बर्दास्त करते आये हैं। लेकिन आज वह जिन हालात से लाचार हैं, आज वह जिस हालत में पहुँच गये हैं, शायद इस से पहले कभी नहीं पहुँचे थे। इसलिए यह जरूरी है कि आज आप जायें और देखें कि उन गरीबों के लिए जिन्होंने आपको कुर्सी की हकूमत दी है, जिन्होंने आपको हुकूमत की कुर्सी पर बैठाया

*in the country*

है, आप उनकी इज्जत, उनकी जान, उनके माल की हिफाजत करें। अगर आप उनके जान व माल की, उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आप यह कुर्सी खाली करके उनको दीजिए जो उनकी जान और उनके माल की हिफाजत कर सकें।

हरिजन और कमजोर तबकों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि वे लोग तंग आ चुके हैं। इसमें हरिजन ही नहीं बल्कि जो अकलियतों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लोगों को भी वही परेशानियाँ हैं जो हरिजनों पर सदियों से चली आ रही हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत के बाद अगर किसी की आती है तो वह पुलिस की आती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उन हरिजनों को, उन अकलियतों के लोगों को आज पुलिस के ऊपर ऐत्माद नहीं रह गया है, भरोसा नहीं रह गया है। आज वह यकीन नहीं कर सकते हैं कि अगर हम खतरे के वक्त उनकी पनाह में जा सकते हैं तो वह हमें बचा सकते हैं। ऐसा लगता है कि फासिसस्ट और फिरका-वाराना नजरिये और ताकतें हर चीज पर काबू पा चुकी हैं और जिस तरह से उन्होंने काबू पा लिया है उससे यह लगता है कि अब कमजोर तबके इस मुल्क में इंसाफ नहीं पा सकते। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बल्कि वह बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसे मौके पर आप बता सकते हैं कि हम किस तरह से कहें, किससे कहें। आखिर वह लोग जो एक मसत्सल तकलीफ उठा रहे हैं, एक मसत्सल खतरे का सामना कर रहे हैं वह किसके पास जायें जब उनकी फरियाद सुनने वाले ही उन पर जुल्म करने को उतर आये हैं। तो सिवा इसके कि उनके पास कोई चारा नहीं कि वह इंतजार करें उस दिन का जब उनके हाथ में इतनी ताकत आ जाए कि वह सिर्फ न केवल उन जुर्म करने वालों बल्कि उसके लिए

[श्री खुरशीद आनम खां]

जो जिम्मेदार हैं उनसे इंसान ले सकें और उनसे बदला ले सकें। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आप कमी भी सुबह का अखबार उठा कर देख लीजिए पूरा अखबार इन्हीं बातों से भरा रहता है। कौन से जुल्म ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं, कौन से अत्याचार ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं। आज हम कोशिश यह करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उस पर पर्दा डाला जाए, जो कुछ हो रहा है उसको छिपाया जाए। जल्द इस चीज की है कि आज ताकत के साथ आज हिम्मत के साथ और पक्के इरादे के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों को कम करने की कोशिश की जाए। जो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं उनसे फर्ज अदा कराना चाहिये। होता यह है कि आंकड़ों को ले कर, आदादोशुमार दिखा कर हम को यह समझाया जाता है कि सब ठीक है, आप यकीन रखिये कि तरक्की हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन आंकड़ों और आदादोशुमार देकर आप हमारी तसल्ली नहीं कर सकेंगे, कमजोर तबके की तसल्ली नहीं कर सकेंगे। उनको जो तकलीफ है, जो जुल्म और ज्यादातियाँ उन पर हो रही हैं वह आदादोशुमार से दूर नहीं हो सकती हैं। खुद आपके मंत्री बाबू जगजीवन राम ने आखिर बेचैन हो कर यह कहा कि जो कुछ आज हो रहा है, जो कमजोर पर अत्याचार हो रहे हैं वे इससे पहले कभी नहीं हुए और इस हद तक भी कभी नहीं हुए जिस कदर अब हो रहे हैं। इसलिये आपसे मेरी यह इस्तदा है, यह दख्तास्त है कि अब पानी सिर से ऊंचा हो चुका है। जल्द इस बात की है कि आप हमें आंकड़े देकर आदादोशुमार देकर बात को ढालने की कोशिश न करें। बल्कि कोशिश यह होनी चाहिये कि जो तकलीफ है उसे दूर किया जाना चाहिये। वे लोग जो जिम्मेदार हैं कानून और इंतजाम को बरकरार रखने के लिये, अगर वे इंतजाम और कानून को बरकरार रखने में कामयाब नहीं होते वे अपना फर्ज अदा नहीं

करते तो उनको सजा मिलनी चाहिये। सजा हमें नहीं मिलनी चाहिये इसलिए कि कुर्सी पर आप बैठे हैं इंसान करने के लिये और हम इंसान के लिये आपके दरवाजे पर दुहाई देने आए हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद इंसानियत खाक और खून में मिल रही है, इज्जत और आबरू मिटाई जा रही है और हम को यह यकीन दिलाया जाता है कि हालात ठीक हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि सरकार फिरकापरस्तों की सरपरस्ती कर रही है और फिरकापरस्तों की सरपरस्ती अगर होती रहेगी तो ये चीजें कभी नहीं मिटाई जा सकेंगी। शामेअबद खून में डूब कर निकली है सुबह बनारस खून में डूब कर निकली है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सुबह बनारस को और शामेअबद को खून की चादर से बचाइये। यह हमारे तहजीबी तमदुन की वह मुकामात है जहाँ सदियों से हम आपस में मिल जुल कर रहे हैं, जहाँ हमने सदियों से एक दूसरे के दुख और दर्द में हाथ बटाया है। वहाँ हम दुख और दर्द में हाथ बटाने की बजाय एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। हम एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। यह सब क्यों हो रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता है। एकदम पिछले छः महीनों में यह मुसीबत क्यों हमारे सिर पर आ गई है। कौन सा ऐसा कसूर हुआ है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनकी वजह से हमें यह बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारे गरीब भाइयों को, खासकर हमारे हरिजन भाइयों को जो जमीने दी गई थीं, जमीने इसलिए दी गई थीं कि उनको भी अपनी जिन्दगी में एक छोटी सी खुशी मिल सके और उनके पास जमीन हो उस पर वह खुद खेती कर सकें। उनका अपना एक छोटा सा घर हो। लेकिन दुख होता है कि न सिर्फ उनकी जमीने उनसे छीनी जा रही हैं बल्कि जमीनों पर जो फसल पड़ी हुई है वह उनसे जबर्दस्ती ली जा रही है। फिर यह यकीन दिलाया जाता है कि जनता खुश है जनता को कोई तकलीफ नहीं है। जनता की हर



अच्छाई के लिये हर सुविधा के लिये, हर आराम के लिये खुशी दी जा रही है। क्या यहीं खुशी है कि हर गरीब आदमी से, चाहे वह हरिजन हो, चाहे अकलियत से ताल्लुक रखता हो उसकी जो जमीन है उससे जमीन छीन ली जाए, उसका जो मकान है उसमें वह मकान छीन लिया जाए। अगर यहीं आराम देना चाहते हैं, अगर इसी तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपको बर्कान दिलाता हूँ कि यह सेवा नहीं है। आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया है कि उस रास्ते पर चलकर आप हमेशा भटकते रहेंगे। आप आज जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं उस गलत रास्ते का आपको एक दिन हिसाब चुकाना होगा। जब आप इस गलत रास्ते का हिसाब चुकाएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी और उस वक्त आप यह भी सोचेंगे कि उस गलत रास्ते के लिए आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। हर दफा हम यह देखते हैं कि जहाँ भी कुछ होता है तो वह कमजोर तबके के लोगों के ऊपर होता है, गरीब लोगों पर होता है और अकलियत वाले लोगों पर होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों को भी इस मुत्क में रहने का हक है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों ने क्या कमर कर रखा है? आखिर ये लोग भी हमारे मुत्क के रहने वाले हैं, हमारे साथी हैं, इस देश की हर चीज में इनका हिस्सा है। इन लोगों का इस देश की हर चीज में उतना ही हिस्सा है जितना बड़े लोगों का है, जितना फासिस्ट जहनियत रखने वाले लोगों का है, फिरका-परस्त लोगों का है। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि फिरकापरस्त और फासिस्ट जहनियत रखने वालों ने हमारी हुकूमत की मशीनरी पर एक कब्जा सा कर लिया है और वह कब्जा ऐसा कर लिया है कि जिसमें हमारी हुकूमत के लोग और हमारे मंत्री लोग अपने आपको ऐसा मजबूर और लाचार पाते हैं कि

शायद अगर उनके दिल में कभी यह कसक पैदा होती हो कि इन्साफ करना चाहिए, वह इन्साफ करने के काबिल अपने आप को नहीं पाते हैं। वे अपने आपको मजबूर पाते हैं। आज हालत यह है कि दिल्ली जैसे शहर में अगर शाम को किसी की भी कोई बहु या बेटी छोटा सा जेवर पहन कर भी चली जाय तो यह यकीन नहीं होता है कि वह न सिर्फ अपने जेवर लेकर वापस आ जाएगी बल्कि अपनी इज्जत और अपनी नामूस भी वापस ला जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस राजधानी में जहाँ पर हुकूमत के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, जहाँ पर हजारों पुलिस के आदमी लगाये हुए हैं, क्या हम गरीब आदमियों को और कमजोर तबके के आदमियों को यह हक हासिल नहीं है कि उनकी बहु-बेटियाँ महफूज रह सकें, उनके घर महफूज रह सकें? इस शहर के अन्दर हर रोज डकैतियाँ होती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन डकैती न होती हो। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कत्ल न होते हों। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन औरतों के गले के जेवर छीन कर कोई आदमी भाग न जाता हो। लेकिन सरकार की तरफ से आंकड़े दिये जाते हैं, आदादोंशुमार हिसाब दिया जाता है। कहा यह जाता है कि ऐसी बात नहीं है। हमारा हिसाब तो यह बताता है कि दिल्ली के अन्दर जुर्म कम हो रहे हैं। जुर्मों में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये खबरे अखबार वाले खुद बना देते हैं? क्या ये खबरे सब झूठी होती हैं? आप कहते हैं कि पहले अखबार कुछ भी नहीं छापते थे। मैं समझता हूँ कि कोई भी सच्चा अखबार वाला या कोई भी ईमानदार अखबार वाला इस किस्म की खबरों को न तो पहले छिपाता था और न अब छिपाता है और नहीं आयन्दा कोई छिपायेगा... (Interruptions) मेरे दोस्त कहते हैं कि बहुत कम मामले होते हैं जो पुलिस के पास रिपोर्ट हो पाते हैं। लेकिन मैं यह

[श्री खुरशीद आनम खान]

कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल यह न समझें कि अखबारों में जो खबरें छपती हैं वे सच्ची नहीं होती हैं और इसलिए उन पर किसी को एतबार नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको इन पर एतबार करना पड़ेगा और अगर आप एतबार नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब मिलकर आपको एतबार करवा देंगे। उस वक्त आपको यकीन होगा कि जो कुछ अखबारों में खबरें होती हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें न सिर्फ तकरीबन 45 लाख शहरी रहते हैं बल्कि यहां पर दुनिया के मुल्कों के शफीर भी रहते हैं। आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि जब वे अपने मुल्कों में जाएंगे तो दिल्ली शहर के बारे में और यहां की हालत के बारे में चर्चा करते हैं। वे लोग इस शहर के बारे में जो राय जाहिर करते हैं उसको सुनकर ताज्जुब होता है। जब हम लोगों को यह सुनने को मिलता है कि दिल्ली शहर के अन्दर कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है, यहां पर कानून और इन्तजाम की कोई चीज बाकी नहीं है तो हमें बड़ा अफ-सोस होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारी खातिर नहीं तो कम से कम इस देश की इज्जत रखने के लिये और इस समाज की इज्जत रखने के लिए और इस चीज के लिए कि बाहर के मुल्कों में हमारे मुल्क की कोई बदनामी न हो, तो माकूल इन्तजाम कीजिये आप इसको भूल जाइये कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता था और आप क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर घर में आग लग जाती है तो क्या आप पहले यह सोचते हैं कि आग किसने लगाई? आग कहाँ से लगी, आग कैसे लगी। पहला काम यह होता है कि हम आग को बुझाते हैं। हमें आग बुझानी चाहिए वरना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस तकसील में पड़ गये आप इस चीज की जांच में लग गये कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है तो घर जल

जायेगा और घर जलने के बाद न घर बाकी रहेगा और न आप बाकी रहेंगे और न हम बाकी रहेंगे।

गांधी जी की समाधि पर जाकर आपने कसमें खाई हैं। बहुत अच्छा किया। गांधी जी हमारे भी नेता हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। वे हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं और हम चाहते हैं कि गांधी जी की देश में सब लोग इज्जत करें, वह चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गांधी जी की समाधि पर लोग जाते हैं और उन गांधी जी की जिन्दगी के मुतालिक अगर सच्ची बात बताते हैं तो उन्हें वह सच्ची बात नहीं दिखाई देती है और सच्ची बात बोलने वालों को सजा देते हैं। यह कौनसी गांधी जी से अकीदत है यह कौन-सी गांधी जी के ऊपर श्रद्धा है कि जो सच्ची बात गांधी जी से ताल्लुक रखती है, जो सच्ची बात उनके आखिर वक्तों की है, जो उनकी जिन्दगी के आखिर लम्हे हैं, अगर उस वक्त की सच्चाई बताई जाती है तो आप उस सच्चाई को बताने नहीं देना चाहते तथा मुंह बन्द करना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता चाहता हूँ कि अगर आप एक मुंह बन्द करेंगे तो हजारों मुंह खुलेंगे, जब तक लोगों के सामने सच्ची बात नहीं आयेगी। सच्ची बात उनको बता देना चाहिए, सच बात से डरना नहीं चाहिए, सच बात छुपनी नहीं चाहिए।

मैं खासतौर पर यहां यह कह देना चाहूंगा कि हमारे प्रांतों के अन्दर जो पी० ए० सी० है, वहां हमारी जो सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस है, उन्होंने इन्सानियत का खून किया है। उन्होंने हमारे भाइयों की, गरीब भाइयों के साथ, गरीब बहनों के साथ जो ज्यादती की है, उसके लिये मैं समझता हूँ कि हर हिन्दुस्तानी का, जिसमें थोड़ी सी भी इज्जत और शर्म बाकी है, उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि यह अभी हुआ है। ठीक है अगर आप कहते हैं कि तुरुमान गेट में इनकी पुलिस ने यह ज्यादती की, मुम्बई नगर में यह ज्यादती

की। हम जानते हैं कि उन्होंने ज्यादाती की। लेकिन मुझे बतलाइये कि तुरकमान गेट और मुजफ्फरनगर का आप बार-बार उदाहरण देते हैं, लेकिन लखनऊ में क्या हुआ? कानपुर में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ और बड़ैया में क्या हुआ? आप वहां तो जायें, डरते क्यों हैं? वहां यह जो किया गया है। शमि अवध को खून में डुबो दिया गया है। इसकी बात आप क्यों नहीं करते। आप वहां पर क्यों नहीं देखते कि क्या ज्यादाती हुई। किस तरह की ज्यादाती हुई और आपने पहले की ज्यादाती को अगर बुरा समझा था तो आपने इन ज्यादातियों को क्यों होने दिया। पी० ए० सी० और मैन्टून रिजर्व पुलिस के लोग जिन्होंने हमेशा अकालियती लोगों पर, जिन्होंने हमेशा कमजोर तबके के लोगों पर ज्यादातियां कीं, आप उनको आज भी इजाजत देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि अकालियता लोगों को आप वहां नहीं रखें, वहां आप हरिजनों को नहीं रखें और यह इसलिए क्योंकि आप यह जानते हैं कि अगर इस किस्म के लोग वहां रखे जायेंगे तो वह ज्यादाती होने नहीं देंगे। आपने पुलिस कमीशन बनाया और वह पुलिस कमीशन तहकीकात करेगा कि पुलिस को किस तरह से रिआर्म्नाइज्ड किया जाय, उनकी सर्विस कन्डीशन क्या होनी चाहिए, यह आपने कहा। लेकिन वहां भी आपने दिल को सच्चा और साफ बात बता दो कि वहां भी कोई अकालियत का आदमी नहीं रहेगा ताकि वह वहां की बात न बता सके। कोई हरिजन भाई वहां नहीं रहेगा ताकि वह वहां की सच्ची बातों को न बता सके और पुलिस के अन्दर जो बातें होती हैं वह सामने न आ सकें। अब आप कहते हैं और हमारे सामने यह चापदा कर लिगा है कि आप अकालियों के लिए एक कमीशन बनायेंगे। आप चाहे कमीशन बनायें लेकिन 9 महीने हो

गये आप इस कमीशन के बारे में फैसला नहीं कर पाये। इस असे में आपने कई कमीशन बना डाले। इस कमीशन के हम दिली हिमायती नहीं। 9 महीने के अन्दर आपने इस कमीशन के टर्मस आफ रिफरेंस नहीं बनाये। आप उस कमीशन की तकज़ील बना दीजिये। आप सिर्फ हमसे यह कहते हैं कि कमीशन बनाया जायेगा। यहां बहुत से कमीशन हैं। माइनोरिटी लिग्विस्टिक कमीशन मौजूद है, हरिजनों का कमीशन मौजूद है। लेकिन इन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया। वही सालाना एक रिपोर्ट होती है और वह हर साल पेश कर दी जाती है। अगर आप इस किस्म के कमीशन को बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि उस कमीशन पर न तो हरिजनों का एनमाद होगा और न अकालियत लोगों का एनमाद होगा, न वह कमीशन मुफ़ोद होगा और न वह उन लोगों के लिये फायदे में होगा, जिन्हें यह कमीशन आप बनाना चाहते हैं। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं है। हम कभी भी यह यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हमारी जान महफूज है, हमारा माल महफूज है और जब मैं यह 'हम' लपज इस्तेमाल करता हूं तो उसमें मैं हरिजन भाइयों और कमजोर तबके के लोगों को भी याद रखता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप हम से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं हमारी जवान भी आप छीन लेना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जब 21 लाख लोगों ने दरखवास्त दी है कि यू० पी० में उर्दू को दूसरी जवान बनाया जाए तो उसको आप नजरंदाज करते हैं। मैं कहता हूं यह जवान इस देश की जवान है, यह जवान यहां पर पैदा हुई, यहां बनी और

[श्री खुरशोद आलम खान]

यहां परवान चढ़ी । यहां के लोग बोलते हैं । आप और हम सब बोलते हैं । अच्छी तरह से समझते हैं । आज यह कहते हैं कि यह अजनबी जवान है, मंगोलों की जवान है, मुगलों की जवान है । मैं यह समझता हूं यह तारीख का खून है, तहजीब का खून है । आप तारीख का खून कर रहे हैं । आप तहजीबी विरसे को मिटाना चाहते हैं । अगर आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए एक तहजीब का खून हो जाएगा । यह मुश्तरका विरसा है यह किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, इसका किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, इसका किसी से ताल्लुक नहीं, यह हमारी और आपकी जुबान है । यह मेरी और मालवीय जी की जुबान है । यह ऐसी जुबान है जिसको हम सब बोलते हैं । यह ऐसी जुबान है जो हम सब के मुश्तरका खून से बनी है । इसमें किसी एक का हिस्सा नहीं और सब का हिस्सा है । यहां जिस तहजीब में मैं यह कहना चाहूंगा हम तहफुज चाहते हैं न सिर्फ तहफुज चाहते हैं मुश्तरका तहजीब का मिली जुली तहजीब का जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी बल्कि उस तहजीब का जिसने आपको कुतुबमीनार की बुलन्दी दी, जिसने लाल किले की मजबूती दी, जिसने ताजमहल की खूबसूरती दी और जामा मस्जिद की पाकीजगी दी । अगर उसको मिटा देंगे तो यह खत्म हो जाएगी तो आप समझ लीजिए यह वह तहजीब खत्म होगी जो हमारी और आपकी तहजीब है । यह हमारी मुश्तरका तहजीब है । यह वह तहजीब है जिनके लिए गांधी जी जिन्दा रहे और गांधी जी ने जिनके लिए जान दे दी । अगर गांधी जी से आपको अफिदत है, अगर गांधी जी से आपको मुहब्बत है, आपको श्रद्धा है तो आप इसको जिन्दा रखने की कोशिश कीजिए । इसको न सिर्फ जिन्दा रखने की कोशिश

कीजिए इसको परवान चढ़ाइये, इसको आगे चलाइये, इसको आगे बढ़ाइये । जिस तहजीब ने आपको कुतुबमीनार की बुलन्दी दी, जामा मस्जिद की पाकीजगी दी, ताजमहल की खूबसूरती दी और लाल किले की मजबूती दी वह हमारी और आप सब की तहजीब है और इस तहजीब की तर्जुमानी करने वाली अगर कोई जुबान है तो वह उर्दू है । जो हमारी और आप सब की मिली जुली तहजीब का नमूना है । हरिजन आज हमारा कमजोर तबका है । उनको सहारे की जरूरत है । जो कमजोर होता है उसको सहारा दिया जाता है । जो थक जाता है उसकी हिम्मत बंधाई जाती है । जो अपने आपको मजबूर पाता है उसकी मजबूरी दूर की जाती है लेकिन हो क्या रहा है, जो कमजोर है उसको और कमजोर किया जा रहा है । जो थकावट महसूस कर रहा है उसको धक्का दिया जा रहा है क्या इसी तरह से इस देश की तरक्की करेंगे ? क्या इसी तरह से इस देश में उन्नति लायेंगे ? क्या इसी तरह से इस देश को आगे ले जायेंगे ? क्या इसी तरह से आप हम सब को आगे ले कर चलेंगे, हम सब की तरक्की होगी ? मैं यह चाहता हूं अगर आप ऐसे करेंगे तो यकीनन गलती पर होंगे । हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जिसमें एक नया समाज हो, उसमें एक नयी फिजा हो, एक नया वातावरण हो, एक नयी जिन्दगी हो और वह जिन्दगी हो जो सब की हो, सब कुछ हो और सब के लिए हो । हम एक कौम एक समाज में रहें और इसमें कोई गरीब न हो, न अमीर हो, न इसमें कोई कमजोर हो, न कोई ताकतवर हो । अगर यहां पर हम एक तरफ ताजमहल की तारीफ करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ अजन्ता भी हमारे लिए अजीम है,

अगर हम एक तरफ गालिब को अपना शायर मानते हैं तो दूसरी तरफ कालीदास भी हमारे लिए इतना ही बड़ा शायर है। अगर एक तरफ महात्मा गांधी हमारे लिये हमारे राष्ट्र पिता थे तो मौलाना आजाद की कुर्बानियां भी इस देश के लिए किसी तरह से कम नहीं थी। आईये हम ऐसी फिजा पैदा करें, ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें हर किस्म का भेद-भाव खत्म हो जाय, हर किस्म की नफरत दूर हो जाय, जहां पर एक नयी फिजा हो एक नया समाज हो। एक नये देश के लिए एक नया समाज उभरे और हमारे इस उभरते समाज को आप आगे ले जायें। आपने यह विरासत पाई है पुराने लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने अपने देश में बड़ी से बड़ी कुरबानी देने से गुरेज नहीं किया, जिन्होंने हर चीज को देश और समाज की खातिर कुरबान किया, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो मत छोड़िये अगर उसको धक्का दे दिया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जायगी। अगर ऐसा किया तो यह गलती होगी। मैं यकीन रखता हूं हमारी मौजूदा हुकूमत के लोग गलती नहीं करेंगे। अगर आप इतनी बड़ी गलती करेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी, आने वाली नस्लों के लिए आप जो देश बनाना चाहते हैं, उस देश को बनाने में मदद कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइये, हमें मौका दीजिए, ताकि हम कह सकें कि हम सबने देश को मिलकर आगे बढ़ाया है, आगे लेकर चले हैं। आईये हम ऐसी हालत पैदा कर दें, आईये हम ऐसा समाज बना दें कि जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और डाक्टर अम्बेडकर तीनों एक में खड़े हो जायें और यह फर्क इसमें न हो कि कौन बड़ा हो, कौन छोटा हो, कौन अमीर है कौन गरीब है। इन अल्फाज के साथ मैं इस रिजोल्यूशन की तार्ईद करता हूं।

[The Vice-Chairman (Shri Shyam Lal Yadav): in the Chair.]

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, इससे कौन इन्कार करता है कि कमजोर वर्गों पर जुल्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह होती है जब आप यह कहते हैं कि इधर आठ महीनों से यह जुल्म बढ़े हैं या ज्यादा हुए हैं, तब इस पर इन्कार करने की जरूरत पड़ती है ऐसा कहना नहीं चाहिए दिक्कत यह हो रही है कि जितना ही इन सवालों को आप राजनीति के फर में लाते हैं उतना ही किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का भला भले हो जाय लेकिन उस जनता का जिसका हम नाम लेते हैं, उसको नुक्सान होता है। किसी निरक्षर बात को कह देने से सच्चाई तो छिपती नहीं। परन्तु नतीजा यह होता है कि लोग उस कहने पर यकीन करना छोड़ देते हैं, उसे कहने का महत्व नहीं रह जाता है जब यह बात आ जाती है कि विरोध में जो बैठा है वह गलत हो या सही हो। वह बात तो कह दी जायगी परन्तु उसका वजन कम हो जायगा। जनता पर भी उसका वजन कम हो जायगा और सरकार पर भी। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन इस तरह बढ़ाकर कहना या यह कहना कि इधर आठ महीनों में बढ़ा है और बढ़ रहा है तो यह बात बिल्कुल गलत है, निरक्षर है और इसलिए ऐसा कहने से उन वर्गों का भी कोई लाभ नहीं होगा जिनके लिए बातें कही जा रही हैं। हमारे मित्र जो अभी बोले और प्रस्तावक महोदय ने बहुत सी बातें उठायीं, अब मैं थोड़ा-थोड़ा उनके ऊपर कह लेना चाहता हूं।

एक बात यह कही गयी कि हरिजनों में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं है।

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

ही बात है, नहीं है। लेकिन यह आज का नहीं है यह पिछले 30 वर्षों से जो रवैया चलता आया है उसी का यह नतीजा है और आज भी ऐसा ही है। न विश्वास है और न विश्वास करने का कारण ही है। जिस तरह की पुलिस संगठित है, जिन वर्गों से वह संगठित है वह हरिजनों का उद्धार करेगी, उसकी सहायता करेगी या अकलियत के प्रश्नों पर निष्पक्ष होगी ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। उसका संगठन ही ऐसा है कि यह सवाल आयेगा ही नहीं। अब हम उस 30 साल के संगठन को और नौकरशाही के ढांचे को, उसके कैरेक्टर को चार महीने के अन्दर बदल दें, यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती। एक "रट" के अंदर यह हुकूमत चली आ रही है, एक रट अरसे से पड़ा हुआ है और यह मौजूदा हुकूमत उस रट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और मुझे आशा है कि उससे निकलेगी और उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन जिस रट के अंदर यह मुल्क चल रहा है उस रट में यकबयक आप यह तब्दीली की आशा नहीं कर सकते हैं कि सारी फिजां एकदम से बदल जाएगी और सारा पुलिस विभाग हरिजनों और अकलियतों का बहुत गहरा दोस्त हो जाएगा। ऐसी आप कैसे आशा करते हैं।

गांधी जी का नाम इधर भी लिया जाता है उधर भी लिया जाता है। गांधी जी की समाधि पर सौगंध आप भी लेते हैं, हम भी लेने गए। उसको इतना ही समझिए कि जब हम गांधी जी की समाधि पर या कहीं सौगंध लेते हैं तो हम उन बातों को याद करते हैं जो गांधी जी चाहते थे। लेकिन इसका मतलब यह न आपके लिए होगा न हमारे लिए होगा कि ये गांधी जी की समाधि पर सौगंध लेने से ही हम सब गांधी जी हो गए, इसलिए यह आशा भी करता एक निराशा की बात है।

हमारे माननीय मित्र ने उर्दू ज़बान की बात कही। एक तरफ तो कहा कि उर्दू ज़बान इस देश की भाषा है, दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि एक मखसूस तहजीब की नुमायंदा है और वह तहजीब जिसमें लाल किला और ताजमहल और जामा मसजिद का जिक्र किया। लाल किला, जामा मसजिद और ताजमहल को जब तक आप एक मखसूस दायरे के अंदर रखेंगे आप मुल्क को नुक्सान पहुंचाएंगे और उर्दू को भी जब तक आप इस रूप में देखेंगे, तब तक आप उर्दू को भी नुक्सान पहुंचाएंगे। उर्दू हिन्दी का कोई अंगड़ा है ही नहीं सिवाए लिपि के। ज़बान का कोई अंगड़ा नहीं, और यह बदकिस्मती इस मुल्क की है कि अगर इस देश भर में एक लिपि हो जाती—फर्ज कर लीजिए—तो आपका इन भाषाओं का सवाल, ज़बानों का सवाल 50 फी सदी अपने आप हल हो जाता, तो यह बदकिस्मती है कि मुल्क की हर लिपि को अपना अपना लालच है, वे उसको छोड़ना नहीं चाहते। उर्दू का भी यही हाल है। उर्दू वाले कहते हैं हमारा जो उर्दू कैरेक्टर है उससे यह नल्बी है पुरानी रवायत। ठीक है, वह उसका अंगड़ा है, ज़बान का कोई अंगड़ा नहीं है। कोई उर्दू बोलने वाले या हिन्दी बोलने वाले कभी कभी एक दूसरे की लिखी किताबें हिन्दी या उर्दू की लिपि में पढ़ने हैं तो पता नहीं चलता उर्दू है कि हिन्दी है। इसलिए हिन्दी और उर्दू का अंगड़ा नहीं उठाइए। उर्दू इस देश की वैसी ही भाषा है जैसे हिन्दी है, केवल लिपि का फर्क है। उर्दू में कुछ फारसी और अरबी के शब्द ज्यादा हैं और हिन्दी में संस्कृत के शब्द ज्यादा हैं लेकिन आम-फहम की भाषा है, जिसे हिन्दुस्तानी का नाम दे रहे हैं। उसमें यह फर्क भी नहीं रह गया है। इसलिए इन सवालों को किसी पार्टी या राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए . . .

श्री खुश्बीद आलम खान : मैंने तो हिन्दी का नाम ही नहीं लिया।



**श्री महादेव प्रसाद वर्मा :** जब इन सवालों को उठाया जाता है तो राजनैतिक कलर चढ़ा दिया जाता है और वह राजनैतिक कलर बढ़ता है तो उसकी सारी खूबियाँ निकल जाती हैं और राजनीति के आक्षेप उसके साथ चिपक जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि उर्दू के साथ किसी को विरोध नहीं है, उर्दू इस देश की भाषा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। अगर उसका कोई झगड़ा है तो लिपि का है। अगर कोई आदमी उर्दू और हिन्दी कह कर दोनों लिपि सीख ले तो फिर उसको कोई झगड़ा महसूस नहीं होगा, झगड़ा सिर्फ इसका है इसलिए उसको राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए।

अब सवाल होता है कि इस स्थिति में क्या किया जाए? मेरा पहला कहना यह है कि जैसे अब तक होता आया है कि इन सवालों को हमेशा प्रचार करके पार्टी का प्लेटफार्म बना कर कहा जाता है, तो मेरा कहना है कि जब तक इन सवालों को, चाहे उर्दू का सवाल हो, चाहे अकालियत का सवाल हो, चाहे कमजोर वर्गों का सवाल हो, जब तक आप उसको पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर लाकर राजनीति का मोहरा बनाएंगे तब तक वह सवाल नहीं हल होंगे। उस से और झंझट पैदा हो जायेंगे। उस में और अड़चनें आ जायेंगी। इसलिये मेरा पहला सुझाव यह है कि इन सवालों को राजनीतिक मोहरा न बनाया जाय और राजनीतिक लाभ उठाने के लिये चाहे इधर के लोग हों या उधर के इस तरह के सवालों को इस्तेमाल न करें। इस से उन गरीबों का, पिछड़े तबकों का, गिरे तबकों का नुकसान हो रहा है और देश का नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि नौकरियों का चरित्र बदला जाय। यह शिकायत सही है कि नौकरशाही इन्साफ नहीं कर पा रही है खासकर उन गरीबों और दुखी और पिछड़े तबकों के साथ न्याय नहीं हो पाता, उन का कोई साथ नहीं देता। इस लिये उस का करैक्टर बदला जाय और

करैक्टर बदलने के दो रास्ते हैं और दो तरह से वह बदला जा सकता है। एक तो यह है कि बदकिस्मती से केवल 16 फीसदी आबादी 90 फीसदी सरकारी नौकरियों पर बैठी हुई है। चाहते हैं आप कि सरकारी मशीन उस जनता के साथ तादात्म्य बना कर रहे, उस के साथ सहानुभूति रखे, उस को अपने से अलग न माने और अगर आप यह चाहते हैं तो आप को उस का करैक्टर बदलना पड़ेगा। ऐसा चाहते हैं तो 16 फीसदी आबादी 90 फीसदी सरकारी नौकरियों पर बैठी रहे यह नहीं होता चाहिए और इस देश में जहाँ कि जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, धर्मवाद भी है वहाँ आप उम्मीद करें कि वह 16 फीसदी आबादी जो कि एक दायरे में बंधी हुई है वह 84 फीसदी आबादी के साथ इन्साफ कर सोगी यह तो आश्चर्य से फूल तोड़ना होगा। आप लाख कोशिश कीजिए यह हो नहीं सकता। इसलिये पहला करैक्टर जो बदलना है वह यह है कि जैसे आप ने जनतंत्र बनाया है और सारे देश की जनता का राज आज इस देश में है वैसे ही इस हुकूमत को भी बनाना होगा कि जिस में सारी जनता के आदमी हुकूमत में बैठें हों। उस में मुसलमान भी हों, धुनिये भी हों, जुलाहे भी हों, मजदूर भी हों, किसान भी हों और अपने ढंग से फैले हुए हों। ऐसा होने पर कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग पर अनाचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह जरूर है कि आप ने यह पिछले तीस साल में नहीं किया। वह बढ़ता ही गया। वर्गवाद को आप बढ़ाते गये। अब रोना रो रहे हैं कि इन्साफ नहीं होता। हरिजनों के साथ इन्साफ नहीं होता, गरीबों के साथ इन्साफ नहीं होता। हो कैसे सकता है! जो वर्ग हजारों वर्ष से उनको पीड़ित करते आये हैं, उन का शोषण करते आये हैं, उन को दलित करते आये हैं धार्मिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, आर्थिक तौर से आज केवल राजनीति के नाम पर उन के वोट के लिये आप उन की जबानी तारीफ करें या उन की हिमायत करें (Interruptions) में किसी को

[ श्री महादेव प्रसाद वर्मा ]

इन्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीकरशाही उन के रंग की है फिर आप कसे उम्मीद करते हैं कि जब तीस साल में आप उन को हमदर्दी नहीं दिला सके तो 6 महीने में हम उन को हमदर्दी दिला देंगे। इसलिये उसका करेक्टर बदलना होगा और जब करेक्टर बदलने की बात आती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। कोई बोलता नहीं। मुझे ताज्जुब हुआ डा० लोहिया के चेलों पर। उन्होंने नारा उठाया था कि 'सोशलिस्ट पार्टी बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साथ'। उस के बाद उन लोगों ने देखा कि लोहिया जी ने तो साठ को जगह दे दी सौ में से, तो उन्होंने एक दूसरी बात निकाली कि 59 फीसदी औरतें पिछड़ी हुई हैं इसलिये 50 फीसदी काट दो औरतों को और उस के बाद बचे 50 फीसदी। उस का साठ फीसदी पिछड़े वर्ग को दे दो।

(Interruption)

तो उस का इंटरप्रेटेशन उन के चेलों ने बदल दिया। उन के चेलों ने कहा कि सौ में साठ फीसदी कहते हैं तो सौ में 50 फीसदी तो औरतें निकल गयीं। उन्होंने औरतें भी पिछड़े वर्ग की मान लीं। 50 फीसदी निकल गई। 50 फीसदी का 60 हो गया। ठीक है औरतें इस देश में पिछड़ी हुई हैं। अगर उनको पिछड़ा हुआ मानते हैं तो उनमें भी वह पिछड़ी हुई हैं जो और ऊंचे वर्ग की हैं। 50 फीसदी पिछड़े वर्गों को ले लो और मर्दों को ले लो।

(Interruption)

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप यह शिकायत करते हैं कि गरीबों के साथ, हरिजनों के साथ, अकलियतों के साथ ईसाफ नहीं हो रहा है, तो कैसे ईसाफ होगा। मुझे बता दीजिए। 16 फीसदी लोगों के हाथ में आने सारा शासन सौंप रखा है। पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानून-गो हो, चाहे एस० डी० ओ० हो। ईसाफ भी वही करेगा। मुकदमा भी वही चलायेगा, रक्षा करने का भी काम उसी का है, खेत का हिसाब करने का काम भी वही करता है।

हरिजनों को जमीन दी गई और छीन ली गई। आप याद रखें, आप मानें या न मानें, उत्तर प्रदेश में हरिजनों को अगर किसी ने जमीन दी है तो वह चौधरी चरण सिंह ने दी है। जमींदारी उन्मूलन के समय उन्होंने कैफियत-नामे के अनुसार लोगों को मारुसी हक दे दिये।

श्री प्यारे लाल कुरोल उर्फ तालिब : (उत्तर प्रदेश) : वह तो थे ही नहीं उन्होंने क्या किया ?

श्री कल्पनाय राय : आप हरिजनों को डांट रहे हैं।

(Interruptions)

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : डांटने का अधिकार तो आपने ले रखा है। बीस वर्ष तक हरिजनों को वहां बोलने नहीं दिया।

श्री खुरशीद आलम खान : उपसमाध्यक्ष महोदय, आप कुछ नहीं कहते, देखिये डांटकर बैठा दिया ?

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : यह जमींदारी अबोलिशन के समय कैफियत नामा देकर अधिकार देकर चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में सारी जमीन हरिजनों को दे दी। उसके बाद हजारों कोशिशें कांग्रेस सरकार ने कीं, लेकिन जमीन हरिजनों को दे नहीं सके। उसका कारण है। कानून में लिखा है कि भूमिहीन को जमीन दो। . . .

(Interruption)

आपके दिमाग में फितुर भरा हुआ है। आप सुनते नहीं काम की बात।

उपसमाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप जारी रखिये।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : जारी कैसे रखूं? कानून तो बना भूमिहीनों को जमीन दी जाए। भूमिहीन में बाप के नाम पर जमीन है तो इन हलकारों ने कहा कि बाप के नाम तो सी बीषे जमीन है, बेटे के नाम जमीन नहीं है तो वह भूमिहीन है। घर की बहू के नाम जमीन नहीं है, वह भूमिहीन है। उसको बांट कर दे दिया। . . . (Interruption)



नतीजा यह हुआ कि भूमिहीन जिसको आप हरिजन के रूप में जानते हैं उसको बहुत ही कम फीसदी जमीन मिली। बाकी सारी की सारी जमीन उन हलकारों ने अपने अपने रिश्तेदारों में बांटी। क्यों बांटी? इसलिये कि पटवारी से लेकर कानूनगो, एस० डी०ओ० और पुलिस अफसर हलकारों के ही वर्ग के थे। वह चाहते थे कि सब जमीन उन्हीं को मिल जाए। पंजाब में नहीं है, लेकिन पूरब में, उत्तर प्रदेश के पूरब के जिलों में जायें तो वहां पर तीन चार सौ जातियां हैं जो अपने हाथ से हल चलाना भी गुनाह समझते हैं। दूध पीना गाय का पवित्र है, लेकिन गोबर उठाना हराम है। अन्न खाना बढ़िया है लेकिन हल चलाना भी एक दोष है। इसलिये उनको हलबाहा चाहिए। हलबाहा होने के माने हैं भूमिहीन मजदूर केवट, चमार ही होने चाहिए। अगर उनको जमीन मिल गई तो स्वाभाविक बात है कि उनको जमीन नहीं मिलेगी। वही हलकारा वहां बैठा हुआ है, वही कानूनगो है, वही पटवारी है, वही अफसर है। आप उम्मीद करते हैं कि वह उस गरीब चमार को जमीन दे देगा जिसके ऊपर वह बैठा हुआ है, जिसके हलबाहे से उसका पेट पल रहा है। कभी नहीं होगा। इसलिये मेरा कहना है कि आप इस तरह की शिकायतें 30 साल करते रहे और 30 साल और करते जाइये लेकिन जब तक इस नौकरशाही का करैक्टर आप बदलेंगे नहीं तब तक आपको राहत, जो आप चाहते हैं मिलेगी नहीं। मेरा कहना है कि अगर इसका उपाय चाहते हैं तो सीधा सा सवाल यह है कि 16 फीसदी जो 84 फीसदी पर बैठे हुए हैं उनको बदला जाए और यह सरकार अगर इस देश को उठाना चाहती है तो इसके लिये कानून को लाना पड़ेगा। 84 फीसदी पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिये 16 फीसदी नौकरियां हों और बाकी 84 फीसदी हरिजनों, गिरिजनों, अल्पसंख्यकों को बांटी जाएं। फिर 22 साल में ही देखिये कि सारा नक्शा ही बदल जाएगा। (Interruptions) मैं तो कह रहा हूँ आप

भी कहिये। आप तो हवा दौड़ रहे हैं। जो सही बात है उसको छूते नहीं हैं।

**श्री कल्पनाय राय : श्रीमान**

**उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :** समाप्त करने दीजिए। बहुत से लोगों को बोलना है।

**श्री महादेव प्रसाद वर्मा :** कल्पनाय राय जी को खल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप शिकायत करते करते थक जाइये लेकिन इन गरीबों का उद्धार नहीं होने वाला है। उनको उद्धार करने का सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि जो गवर्नमेंट आफिसिज हैं उनमें स्थान दिया जाए। पांच साल उनको संभलने के लिए दीजिए तब तक आप उनकी रक्षा कीजिए उसके बाद आप देखिये। एक थाने में अगर चार-पांच पुलिस के सिपाही हरिजन और गरीब लोग होंगे तो मैं समझता हूँ कोई अत्याचार नहीं होने का। लेकिन जब आप एक तरफा की बात करते हैं तो नतीजा यह होता है कि जुल्म बढ़ते जाते हैं। आप को नौकरशाही का करैक्टर बदलना होगा। आपको यह भी शिकायत है कि कोर्ट में गरीब आदमी नहीं जाता क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिलता। इसलिये कोर्ट्स में, सरकारी नौकरियों में, पुलिस में नौकरशाही का यह करैक्टर बदलना होगा। अगर देश में जनतंत्र को पनपाना चाहते हैं तो इन गरीबों को ऊपर उठाना होगा।

हम 30 साल से चिल्लाते आए हैं कि पुलिस और सरकारी नौकर जो हैं जनता के साथ इनका आत्मसात नहीं हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। इंग्लैंड की पुलिस है जिसको अंग्रेजों ने अपने लिये बनाया था। वहां की पुलिस के ऊपर जनता को इतना अधिक विश्वास है उतना

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]  
अपने भाई पर भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस को भी ब्रिटिश हुकुमत ने बनाया था। 30 साल हो गये हैं लेकिन पुलिस का रवैया वही चल आ रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह हो या कोई और छः महीने के अंदर वह कोई 30 साल पुरानी चीज खत्म कर देगा, ऐसी बात तो है नहीं। उसके पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि छः महीने के अंदर पुलिस का सारा कैरेक्टर बदल कर जनता के मुताबिक बना दें। आपने 30 साल तक ऐसे कैरेक्टर को क्यों बनाया? क्यों नहीं ऐसा कैरेक्टर बनाया जिससे जनता की सेवा हो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को बदलने में आपको ईमानदारी से राजनीति को दूर रखना होगा तभी 10 साल में इस कैरेक्टर को बदला जा सकता है। मेरा कहना यह है कि कोई कमीशन बगैर बैठा कर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके इस नौकरशाही को खत्म करने का प्रयास कीजिए। उससे राजनीतिक लाभ उठाने की न आप कोशिश करें और न ये कोशिश करें। कभी भी नौकरशाही से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई तो देश के लिये घातक काम हुआ है। देश के लिये सबसे घातक काम तब होता है जब नौकरशाही के जरिये हमने बोट लेने की कोशिश की। जनतंत्र के अन्दर हमें इस प्रकार की सब बुराइयों से बचना होगा और तभी हम इस देश का कैरेक्टर भी बदल सकते हैं।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस देश की गरीब दुखिया जनता को ऊपर उठाने के लिये कोई ठोस काम किया जाना चाहिये। हमारे देश में पिछले 30 सालों से कांग्रेस हुकुमत में रही। अब जनता पार्टी हुकुमत में है। लेकिन अफसोस की बात है कि सन् 1948 के बाद पार्टियों का कैरेक्टर इस प्रकार का नहीं बना कि वे हमारे देश के सामाजिक ढाँचे में किसी प्रकार

का कोई परिवर्तन लाते। कांग्रेस का जो पुराना ढाँचा था वह भी खत्म हो गया और विरोधी पार्टियों की भी वही स्थिति रही। हमारी जनता पार्टी का भी उस प्रकार का कोई संगठन नहीं बन सका है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की पार्टियाँ सिर्फ हुकुमत में आने की कोशिश करती रही हैं। गांधी जी के जमाने में कांग्रेस का जो संगठन था उसके दो रूप थे। एक रूप तो उसका ब्रिटिश हुकुमत से लोहा लेता था और दूसरा मंडल कमेटियों के रूप में और जिला कमेटियों के रूप में लोगों की तकलीफों और परेशानियों को दूर करने में लगा रहता था। कांग्रेस का यह वह रूप था जो सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और साम्प्रदायिक स्तर पर समाज को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता था। यही वह रूप था जो समाज से जाति प्रथा और छुआछूत को दूर भगाना चाहता था और उसके लिए प्रयत्नशील था। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि इस प्रकार का रूप सन् 1948 के बाद किसी भी पार्टी का न रहा। आज जरूरत इस बात की है कि समाज को छोटे-छोटे झगड़ों से ऊपर उठाया जाय और उसको जात-पात और छुआछूत से राहत पहुंचाई जाये। हमारे देश के अन्दर गरीबों और पिछड़े वर्गों पर जो अत्याचार होते रहे हैं उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यही है कि हमारे मूलमूल विचारों में परिवर्तन लाया जाय।

चौथी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वह और भी ज्यादा दूर की चीज है, लेकिन वह बुनियादी चीज है हमारे देश में गरीबों पर अत्याचार क्यों होते हैं इसके कुछ कारण हैं। आज तो स्थिति यह है कि हमारे देश में शोषण इस हद तक पहुंच चुका है कि कुछ लोगों को छुआछूत के नाम पर जानवर से भी बदतर समझा जाता है। अगर मैं कुत्ते की संज्ञा दूँ तो वह भी गलत नहीं होगा। कई घरों में कुत्ते के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन हमारे समाज में आदमियों के साथ

वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस प्रकार की एकपृष्ठभूमि हमारे देश में चल रही है। मैं जब इस प्रकार की पृष्ठभूमि को आर्थिक मामलों से छोड़ता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप आर्थिक सवालों को जात पात के साथ क्यों जोड़ते हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल आर्थिक सवाल ही है क्योंकि जब हमारे देश के कमजोर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक वे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं उनका सबसे बड़ा आधार आर्थिक है। आप चाहते हैं कि यह पृष्ठभूमि एकदम से समाप्त हो जाय, यह संभव नहीं है। इसलिये मैंने कहा कि समाज में किसी तरह का परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक सवाल सबसे बुनियादी चीज है। जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक वे शानदार आदमी नहीं हो सकते हैं। इसी लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विभेदनीकरण हो। आज हमारे देश के किसान और मजदूर की बुनियादी आवश्यकता यह है कि उसको उसकी जरूरत की चीजें देश में मिलें। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बुनियादी आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको हवाई जहाज की आवश्यकता है तो आप उसको बनाइये, लेकिन किसानों की उपेक्षा मत कीजिये। जब तक भूमिहीनों को भूमि नहीं दे सकेंगे तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है। ये मैंने चार प्रोग्राम बताये हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार इन बातों पर ध्यान देगी। जनता पार्टी ने कहा है कि हम पिछड़े वर्गों और हरिजनों की भलाई के लिए काम करेंगे। हरिजनों का सवाल राजनीति का सवाल न बनाओ और मैं यह भी कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ यदि वह चला गया है तो चला जाय। मैं यह भी कहता हूँ कि 5-7 साल तक हरिजन आपके साथ नहीं आयेंगे। कुछ कारण हैं। उसकी एक हवा बनी हुई है। लेकिन हम उनकी सेवा करते चलेंगे और हम उनको उठाने के लिये

प्रयास करते चलेंगे और उनकी आर्थिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेंगे और पाँचसात साल के बाद समाज के ये लोग जो राजनैतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पीछे पड़े हुए हैं, ये उठ करके इस देश का भाग बनेंगे। धन्यवाद।

**श्री भोलू प्रसाद (बिहार) :** उप-सभाध्यक्ष महोदय, हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों को बन्द करने के सिलसिले में . . .

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, I am on the panel of speakers. You should have called me. Otherwise, there is no use of giving my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Mr. Madhavan, two persons from the Congress Party have already spoken and so, I have to call a Member from the other party. Your name is there and so, you and others will be called later.

**श्री कल्पनाथ राय :** आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, आप समय निर्धारित करें।

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh): Sir, you have to call Mr. Madhavan now.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, I have to speak now and you have to call me.

**श्री कल्पनाथ राय :** आप टाइम फिक्स करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Mr. Madhavan, your turn will come.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, you are resorting to the same tactics as others....  
(Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Your turn will come. Please sit down.

SHRI K. K. MADHAVAN: You should have called me. I have to speak. Otherwise, there is no use in sending my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I am requesting the honourable Members to limit their time and to confine their remarks to as little time as possible because there are many speakers. You will also get your turn.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, I am No. 2 in the list. What I can do now?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Your name is there. I know it. But what can I do?

SHRI K. K. MADHAVAN: You are pushing me backward. You want me to remain in the back bench only. Do you want me to remain backward also? I have to speak on behalf of my party. I should have been called first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): You kindly ask your party Whip.

SHRI K. K. MADHAVAN: I think ..here is no use sitting here if this is the position...

*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I cannot help.

SHRI K. K. MADHAVAN: Previously, you were monopolising the entire time of the House.... *(Interruptions)*. Now, I am not being called.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Your name is there. Mr. Madhavan, you are a senior Member and I would request you to abide by the rules. You tell your Whip that your name should be kept first. The Chair does not come into the picture at all. Your name is there and I know it. Your turn will come.

**श्री भोला प्रसाद:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हरिजनों, कमजोर वर्ग के लोगों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार को बन्द करने के सम्बन्ध में जो तजवीज पेश हुई है, जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका पूरा समर्थन

करता हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आज जो अत्याचार हो रहे हैं, उस सिलसिले में कुछ तथ्यों का जिक्र करना चाहता हूँ।

सबसे पहले तो मैं संसद के इसी सत्र में, लोकसभा में जो माननीय गृह राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के सिलसिले में लिखित जवाब दिया कि पहली मार्च से लेकर 30 अक्तूबर तक, पिछले 8 महीनों में कितने हरिजनों की हत्या हुई, कितनी हरिजन औरतों पर बलात्कार हुआ, इस सम्बन्ध में उन्होंने जो तथ्य दिये हैं, मैं उन तथ्यों को यहाँ पेश करना चाहता हूँ। इसमें है कि कुल 215 हरिजनों की हत्याएँ की गईं और 66 हरिजन औरतों के ऊपर बलात्कार किया गया और इसका राज्यवार व्यौरा इस तरह से है : आंध्र में दो हत्याएँ हुई और 3 औरतों पर बलात्कार हुआ, बिहार में 24 हरिजनों की हत्याएँ हुई और 45 हरिजन औरतों पर बलात्कार हुआ, गुजरात में 18 हत्याएँ हुई और 4 औरतों के ऊपर बलात्कार हुआ, हरियाणा में 4 हत्याएँ हुई और 3 औरतों पर बलात्कार हुआ, कर्नाटक में 6 हत्याएँ हुई और 2 औरतों के ऊपर बलात्कार हुआ, केरल में 2 हत्याएँ हुई और 2 औरतों पर बलात्कार हुआ। मध्य प्रदेश में 33 हत्याएँ हुई और 32 औरतों पर बलात्कार, महाराष्ट्र में 13 हत्याएँ और 9 औरतों पर बलात्कार, पंजाब में 8 हत्याएँ और 1 औरत पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में 102 हत्याएँ हुई और 61 औरतों पर बलात्कार, हिमाचल प्रदेश में 3 हरिजन औरतों पर बलात्कार, तमिलनाडु में दो हरिजनों की हत्याएँ हुई। दादर नगर हवेली में एक हत्या हुई और एक बलात्कार हुआ। यह आंकड़े खुद राज्य गृह मंत्रियों के द्वारा लोक सभा में दिए हुए हैं। आंकड़े पूर्ण नहीं हैं यह तस्वीर अधूरी है। लेकिन यह तस्वीर किसी भी सभ्य देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है। लेकिन वास्तविकता यह है कि

जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

पहले भी बार-बार यह प्रमाण

और तथ्य पेश किये हैं लेकिन सिर्फ प्रमाण और तथ्य रखने से काम नहीं चलेगा। सवाल है यह क्यों बढ़ा है और इसका निदान क्या है? आज यह हुआ है सिर्फ इसलिए नहीं कि जिन लोगों पर यह जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं वे सदियों से सताये और दबाये हुए हैं यह तो वास्तविकता है। लेकिन आज यह जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं। खासतौर से इस जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जो गांव के जमींदार हैं, महाजन हैं, भूमि स्वामी हैं जो यह समझते हैं कि यह जनता सरकार हमारी सरकार है इसलिए अब उनका हौसला बुलन्द हो गया है और वे समझने लगे हैं कि हरिजनों को, गरीबों को, कमजोर वर्गों के लोगों को, जिनको आज तक हमने दबाये रखा था, अपने पैरों के नीचे जोर जबर्दस्ती से काम लिया था, गुलामी करवायी थी, वह अब हमें और भी ज्यादा करवाने का हक है। इसलिए भी कि जब सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। इसलिए कि वह समझते हैं कि अब उनकी सरकार बन गयी है। इसी वजह से आज जुल्म बढ़ गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो उनका हौसला बढ़ा है खुद मौजूदा सरकार की नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। जब इस सवाल को उठाया जाता है तो वह वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जब बेलछी कांड हुआ इतना बड़ा कांड हुआ और उसका सवाल उठाया गया तो बिहार के मुख्य मंत्री की ओर से और यहां गृह मंत्री की ओर से वैसा ही बयान दिया गया जैसा कि वहां के पुलिस अधिकाइयों ने दिया था कि यह दो अपराधकर्मी गिरोहों के बीच की घटना थी। परन्तु यह बड़े भूमि स्वामियों और जुल्म करने वालों का तबका था जिन्होंने हरिजनों, और कम-

[श्री भोला प्रसाद]

जोर वगैरे पर हमला किया। परन्तु रिपोर्ट में उन्होंने इस घटना को पेश नहीं किया है। जब सरकार का खुद यह दृष्टिकोण है सरकार खुद घटनाओं को इस ढंग से देखती है तो जुल्म करने वालों का हौसला और बुलन्द होना स्वाभाविक बात है। जब यह जुल्म करने वालों की मदद करते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, मन बढ़ता है और यही कारण है कि पुलिस के लोग भी आज न केवल हमला करने वालों की मदद करते हैं, उसको सह देते हैं बल्कि वह खुद भी हमला करने में हिस्सा लेते हैं। मैं कई बार तथ्य पेश कर चुका हूँ कि किस तरह खुद पुलिस अधिकारी हरिजनों और कमजोर वर्गों की औरतों पर बलात्कार करने में, मारने में, हत्या करने में भूस्वामियों का साथ देकर, मिलकर हिस्सा लेते हैं। मैंने 16 तारीख को बतलाया कि बेंगलूर में हरिजन कांड के बाद जो पुलिस चौकी उनकी सुरक्षा के लिए बैठायी गयी, वहां के अधिकारी, वहां के भूस्वामियों के साथ मिलकर, जमींदारों के साथ मिलकर वही हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। जिनको रक्षा करने का काम दिया गया था वही खुद उन पर जुल्म कर रहे हैं।

यह आज का अखबार है। यह मद्रास का समाचार है कि हरिजनों पर हमले में पुलिस की सांठगांठ। मद्रास के एक गांव में मजदूरों ने जब मजदूरी की मांग की और जब मजदूरों के सवाल को लेकर विवाद हुआ तो वहां आफिसर आये और इसके बाद जब मजदूर डट गये, इकट्ठे हो गये, एकताबद्ध हो गये तब आफिसरों ने आकर उनका भूस्वामियों से समझौता कराया लिखित तौर पर। लिखित तौर पर, लेकिन उसके चले जाने के बाद भूस्वामियों ने गिरोह बना कर सैकड़ों की तादाद में हथियारबन्द तरीके से गांव के हरिजनों पर, खेती मजदूरों पर हमला

कर दिया और पुलिस वाले बजाए इसके कि वे हमला करने वालों को पकड़ते वे खुद हमला करने वालों की मदद कर रहे हैं और मदद की है, उसमें हिस्सा लिया है। यह एक पूरा समाचार 2 कालम में छपा है। पूरे हिन्दुस्तान में ये चीजें हो रही हैं। तो जब खुद सरकार की नीतियां ऐसी हों जिससे हमलावरों को मदद मिले, बढ़ावा मिले, उसके हौसले बढ़ें हमला करने के लिए, पुलिस अधिकारी को बढ़ावा मिले, वे खुद हमला करने में हिस्सा लें, तो फिर यह हमला, यह जुल्म यह अत्याचार कैसे कम होगा? कम होने का क्या रास्ता है? इतना ही नहीं, एक तरफ तो सरकार द्वारा यह कहा गया, बार-बार आश्वासन दिया गया, कि सरकार हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने को मुस्तैद है, वह जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इसकी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल सेल बना रहे हैं लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वास्तविकता यह है कि हमला बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ रहा है। आज ये पुलिस अधिकारी हमला करने वालों का साथ दे रहे हैं और वह इसलिए कि ये अधिकारी उसी वर्ग से आते हैं, उसी जमींदार वर्ग से, भूस्वामी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग द्वारा गरीबों पर हमला होता है और इस सरकार की नीतियां भी भूस्वामियों के कारनामों पर परदा डालती हैं। जैसा मैंने कहा, पुलिस जैसी रिपोर्ट दे देती है सरकार भी वही बातें दोहराती है इसलिए ये पुलिस वाले भी आज ये हरकतें कर रहे हैं।

तो उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वे सचमुच में अत्याचार बन्द करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये भूस्वामी लोग, जमींदार लोग जो कमजोर वर्ग और गरीब आदिवासियों पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, उनकी बन्धूकें और हथियार जब्त किए



को घटना थी, पथडुा की घटना थी या धर्म-पुरा की घटना थी उन के मुकदमों के लिए विशेष कोर्ट बिठाये जायें वहीं पर ताकि गरीब वर्ग के लोग वहां आ कर अपनी बात कह सकें और उन के बच्चे, मां और बहिनें साहस के साथ अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकें । वगैर किसी खर्च के और वगैर किसी तरहदुद के और जहां जमींदारों और भू-स्वामियों की कोई परवाह न करे । रुपये के बल पर जहां वह न्याय को न खरीद सकें । जब इस तरह की कार्यवाही होगी तभी इस तरह की हरकतों को रोकने में सरकार समर्थ हो सकती है । इस के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जब तक गांवों के अन्दर मौजूदा भूमि सम्बन्ध हैं, जब तक जमीन मुट्ठी भर भू-स्वामियों के हाथ में है, केन्द्रित है और हरिजन, खेत मजदूर गरीब लोग, मेहतत करने वाले बिना जमीन के हैं तब तक वह भू-स्वामियों के जुल्म का शिकार होते रहेंगे और इस-लिये भू-स्वामित्व को बदलने के लिये भूमि सुधार कानूनों पर मुतैदी से अमल किया जाय । लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है । एक तरफ वह कहती है कि हम भूमि सुधार कानूनों को अमल में लायेंगे लेकिन उसने लिये जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है उसका मतलब है कि जितने भी कानून अब तक बने हुए हैं भूमि सुधार के—18 एकड़ से ले कर 22 एकड़ तक छोड़कर जो जमीन हदबन्दी से फाजिल होगी वह भूमिहीनों में बांटी जायेगी या सरकारी जमीन उनको बांटी जायेगी, उन कानूनों को बदलना पड़ेगा—जनता पार्टी के कथन के मुताबिक और इसके मायने हैं कि सारे भूमि सुधार के कानून अब तक के खटाई में पड़ गये । तो यह तरीका भूमि सुधार कानूनों को लागू करने का, उन पर अमल करने का नहीं है । यह उस को सबोटज

[श्री भोला प्रसाद]

करना है, यह उस के साथ घात करना है। यह धोखा दिया जा रहा है गरीबों को भूमि सुधार के नाम पर। इसलिये जरूरत है कि भूमि सुधार कार्यक्रम में जो कानून कम से कम आज तक बने हुए हैं राज्यों में, उन पर मुस्तदी के साथ और मन्ती के साथ अमल किया जाय। इसी तरह से कर्ज-गुलामी को खत्म किया जाय। बांडेड लेबर को खत्म करने का कानून तो बन गया, लेकिन जब तक उन को सरकार की ओर से, बैंकों की ओर से कर्ज देने की व्यवस्था नहीं होती है तब तक उन को महाजनों के फंसे में उन की गुलामी में बार-बार फंसना पड़ता है। उन को तब तक फंसना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है उन के पास। इसलिये अगर उन को कर्ज-गुलामी से छुटकारा दिलाना है, मुक्त कराना है तो यह बंधवा प्रथा कानून को अमल में लाने के साथ-साथ जरूरी है कि सहकारी बैंकों से और सहकारी ममितियों से जो भूमिहीन हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो सीमांत किसान हैं, ऐसे लोगों को कर्ज देने के लिये विशेष व्यवस्था की जाय और उन के लिये विशेष नियम बनाये जायें और इसके लिये बैंकों को हिदायत दी जाय। इसके लिए विशेष बैंक बनाये जायें।

इसी तरह से मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी कानून को सख्ती से अमल में लाया जाय और जो इस पर अमल नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

अन्त में मैं फिर कहता हूँ कि जितने भी लोग सही माने में ईमानदारी से गरीबों और हरिजनों, खेत मजदूरों और कमजोर वर्गों की मदद करना चाहते हैं उनको उठाना चाहिए। हम उनका

आह्वान करते हैं कि जहाँ पर जुल्म होता है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जात-पात के बन्धन को तोड़कर गरीबों के साथ खड़े हों। उन जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़े हों, तब जुल्म बन्द होंगे। जब तक यह नहीं होगा हम बोलते रहेंगे और जुल्म होते रहेंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, I have been in this House for nearly one year and nine months during which period, the present speech I am making is the sixth speech, if I remember correctly. Among the five speeches that I made earlier, one speech was of one minute's duration. I point out this fact just to show the serious injustice that has been done to me from whichever quarter it may be.

I do not want to say much about the atrocities on the Harijans in detail. After the present Government came to power, the atrocities started from Bel-chi and the latest one, to my knowledge, is at Khanjewala under the very nose of the metropolis of this country. At Khanjewala, I understand, the land that was previously distributed to the poor landless labourers, was going to be usurped by the land-owners and the press men went there. The press men were intimidated and threatened because they happened to write the truth about the incident, and the Government also would not give protection to the press men. What does it mean? So, from Belchi to Khanjewala, it is the pilgrimage of reaction; it is the pilgrimage of atrocities from the land of Budha to the capital of this country. It was an unholy pilgrimage of atrocities on the poorer sections of this country.

I was very closely listening to the speech of my hon. friend. I think his name is Mr. Varma, in the ruling party. It seems he was himself confused on



the issue. If he was not confused on the issue, he was mischievously twisting and confusing the problem.

Sir, on going through the Resolution, we find there are two issues. One is the deteriorating law and order situation and the other the increasing atrocities on the Harijans. That being the background, the Resolution demands that the Government should take immediate steps to restore law and order in this country, that is the Bret point, and number two is, to create an atmosphere of confidence among the Harijans and other weaker sections of the society, including the tribals. This is the essence of the Resolution. I do not know what was the purpose of the hon. Member, on the Government side, to confuse the issues. I think it was deliberate. He was making a tall talk about administrative reforms, as if the Resolution relates to administrative reforms. Precisely, the Resolution deals with something concrete, and he escaped that issue very cleverly. Mr. Varma, you are very clever; but we are equally clever; we can understand your cleverness or your mischief. Now, there is one redeeming feature. The Prime Minister, the other day, made a statement that he has a five-year plan to annihilate totally the sin, the shame, of untouchability from this country. I wish him good luck. He has also said that he is prepared to join any group of *satyagrahis* to observe a *satyagraha*, in a non-violent manner, against this untouchability. I am surprised to see that the Prime Minister of such a big country, instead of promising that he will do everything in his power to fight this reaction, says that he will join some *satyanrahis*, as if it is going to be a *jatha of satyanrahis or Sadhusnmaj*.

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S.  
D. PATIL): Law alone is not  
sufficient.

SHRI K. K. MADHAVAN: I understand  
that much more than you.

SHRI S. D. PATIL: Comparisons are  
odious.

SHRI K. K. MADHAVAN: I am coming  
to that. Why should you overshoot? I  
have just begun.

Another thing is, untouchability alone is  
not the main cause. I have got a copy of a  
letter which I had received from a body of  
which I am a member, I mean, the All-India  
Harijan Sewak Sangh. This was a letter writ-  
ten, to Mr. Shyam Lalji, President of the All-  
India Harijan Sewak Sangh by the Father of  
the Nation. The letter was written on 27th  
July, 1945. Gandhi-ji says like this. I quote:

"If untouchability has to be eradicated,  
casteism must go. My view has been made  
clear in the preface to my book, 'Varna  
Vyawastha'. I would like to say that the  
caste system, as it exists today, in the  
Hindu religion, is an irrational concept and  
has lost all the relevance in the present  
time. It will only hamper the growth of  
true Hindu religion and if Hindu religion  
and India have to survive and make pro-  
gress, it is imperative that casteism should  
be abolished."

This is an extract which Gandhiji himself  
quoted from the preface to his book. 'Varna  
Vyawastha'. I think no bigger authority is  
required to establish the evil consequences of  
casteism. Now, after 32 years, casteism still  
prevails. Last year, when the Constitution  
Forty-Second Amendment Bill was to be  
discussed in this House. I requested the  
Chairman of the Drafting Committee to  
include a provision to prohibit casteism. Mr.  
Swaran Singh of my party, my leader, said  
'My dear gentleman, how can you prevent it  
when there are reservations'? I told him on  
his face that he was mistaken. Casteism is not  
because of reservations. Reservation is  
because of casteism, to counteract casteism.  
It is the consequence of casteism. That is  
why a provision to prohibit casteism did not  
find a place in the Forty-Second Amendment  
Bill. Even if there had been such a  
provision in the Forty-Second

[Shri K. K. Madhavan] Amendment Bill, yesterday, that would have been guillotined with the support of my own party. That is another story. What is the position now? There is more reaction in Government. Even the mass media in this country has been misused by the Government. Last July I had an occasion to witness a TV programme - where a feature on Harijan atrocities was being presented. Strangely enough, it was not the Beichi incident that was presented, it was some incident in some Congress-governed State. The Ministry of Information and Broadcasting dare not present a picture of what happened in Beichi which is the most glaring incident.

See, what happened yesterday. My friend, Shri Kalp Nath Rai was squatting here. That became the news in the Press, including the Samachar. I raised an objection, a legal, lawful, constitutional objection to the introduction of the Press Council Bill. But what happened? This was blacked out by Samachar. By the time our friends made a statement and walked out, the hon. Minister straightaway got it introduced in the absence of our friends, and without a quorum. I underline the word 'quorum', Sir, with all the legal implications.

Then, I remind you of certain things also. Every political party leader is speaking about atrocities on Harijans? Let us believe all of these people. What is the sum total? The sum total of this is that it is accepted that the number of cases about atrocities on Harijans is increasing day by day. That is the simple fact. That being the case, there is nothing strange when no less a person than Babu Jagjivan Ram, who was addressing the Conference of the All India Depressed Classes League at New Delhi on the 7th of this month, stated that a non-violent voluntary force, *Nirbhav Sewa Dal*, should be created to fight those atrocities. Pie is the "Defence Minister. So, he exhorted the people to defend themselves, as his

Government is not prepared to defend these unfortunate people. I quote the press report;

"The Defence Minister referred to the recent incidents of alleged atrocities on Harijans and said, he did not want to enter into the futile exercise of increase or decrease in the number of such incidents, but even one such single incident of atrocity on Harijans was enough to make the whole nation feel concerned."

I was saying that the incidents of atrocities on Harijans are misutilised at a political stick, different political parties try to beat one another. My friend on the Government side was speaking that this issue should be treated above party politics. I was listening to him very carefully. What was he doing? He was extolling the exploits of Choudhuri Charan Singh, who happens to be the Home Minister of this country. What is the relevance of exploits of Choudhuri Charan Singh to this Resolution? Was he himself not taking party-politics into this? And he makes a somersault towards the close of his speech that we have to rise above the party-politics. We have commonsense, we know his political jugglery and the jugglery of words. There is a couplet in Malayalam, which you may not know but I shall tell you the essence of it. In the open conferences, they speak very sweet words and they talk of equity and justice. But in their heart of hearts their intention is to stamp the backward people further and further. This is the Malayalam couplet:

"CHINTICHTDUNNELIMA KANDU  
CHAVITTIYAZHTHAN CHANTAT-  
INAI SABHAKALIL PARAYUN-NU  
NYAYAM".

My friend, Shri Lakshmanan, may be knowing it. This poem was written 50 years back. But that is the mental attitude about casteism even now. After that, India became independent. We accepted a very good, democratic Constitution. That Constitution is not only a framework of law, but a live

institution to enrich 'this country. To accelerate the progress of this country, it has to be given a social content Dr. Ambedkar insisted on giving a social content to this Constitution in its functioning. This is what he said in the Constituent Assembly while presenting the final draft of the Constitution of India. The Constitution was accepted on the 26th November, 1949. Just a day prior to that—on 25th November—this is what he said. He sounded a note of warning in the Constituent Assembly: "On January 26, 1950, we will have equality in politics and inequality in social and economic life". I would like to underline the word 'inequality'. Then he goes on to say:

"We must resolve this contradiction at the earliest moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up".

That was a great man's warning, a word of caution to the country—it was not only to a particular party. Luckily, we had a great leader, Shri Jawaharlal Nehru, who did his best in spite of opposition from within his own party and outside. He somehow managed to do certain things. He made plans and implemented them. These included the welfare of the backward people also. And that was continued by his daughter, Shrimati Indira Gandhi. After this Government came to power, what happened to the 20-Point Programme? They may have some small reasons for quarrel with Shrimati Indira Gandhi, the former Prime Minister, but how can they quarrel with the 20-Point Programme? May I ask where does the 20-Point Programme stand now? Are you not going back to the earlier centuries? That is the present position. Nehru attempted to give life and blood to the Constitution of this country. After that Indira Gandhi was bold enough to make suitable amendments to the Constitution during Nehru's time he made amendments. One of the earliest amendments was to nullify a judicial

pronouncement of the Supreme Court. That pronouncement was in the case of 'Champakam Dorairajan vs. the State of Madras where reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were nullified by the highest judicial body of this country. Is it not a matter of shame? That being our experience, both the Houses sitting together, passed a certain amendment. One of the amendments was that the Constitutional Amendments should not be touched by the Supreme Court. (*Time Bell rings*). We have deleted article 366. I would remind you. One minute more and I will close. Only one point more. Sir, an eminent poet wrote in Malayalam that formalities and customs should change because they are a hindrance. You cannot tie up the progress of the society by such old antiquated threads. If you do not change these old customs you yourself will be removed. A poet in Malayalam wrote:

**KALAM VAIKIPPOYI KEVALAMA-  
CHARA NOOLUKLELLAM PAZHA-  
KIPPOYI, KETTINIRUTUVAN VAY-  
YATE DURBALAPPETTA CHARA-  
TIL JANATA NILKA MATTUVIN  
CHATTANGALE SWAYAM. ALLEN-  
KIL MATTUMATUKALEE NINGA-  
LETAN**

The couplet says that time has changed. The threads of customs cannot hold up a progressing society. Change your rules, otherwise the changing society will throw you out. That is exactly what happened in the Constituent Assembly.

One thing more about Nehru. We have heard of de-Stalinisation in some countries. But here reversely we are around a stage of de-Nehruisation. A beggar came from Kerala and found protection in the great man's office. He was an anti-social element. Do you know what he did. -Shri K. R. Narayanan, our Ambassador in China, came from the London School of Economics with a letter of introduction from Prof. Harold Lasky addressed to Pandit Nehru. With the words:

"I think you will utilise his services to the benefit of the country".

[Shri K. K. Madhavan]

Shri Narayanan brought it to Pandit Nehru. He wanted to meet Pandit Nehru. He had to wait for months together because this fellow—I do not want to name him—refused to give him an interview with Panditji for nearly six months. Shri K. R. Narayanan, is a Harijan. That is the whole trouble. Now this fellow has written something yellow. I do not want to mention where he came from. What did he do? What did he do here? How much money did he make and from which quarter? What is the story of this disreputed man? Finally, this fellow was kicked out of Nehru's office. Now, many years after Nehru's death this fellow of a dog comes forward with a tainted book, a yellow book. One is reminded of a dog who was born in dirt. He came out to squeeze out money and is trying to escape. How ran he escape? He was born in dirt, he lived in dirt and he revels in dirt. By any movement and any attempt he makes he throws mud on everyone else surrounding him. That is the result of the book. I shudder to think how much espionage work he must have done, how many anti-social activities he must have indulged in under the privileged protection of Nehru under which this fellow took refuge. I do not want to make any personal remarks, but these are facts, facts of truth and facts of history. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Shri Malaviya.

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra); Sir, what about my turn?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): After him.

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार) :  
वाइस चयरमैन साहब, मुझ ऐसा लगता है कि  
हाउस मैटेन नहीं किया जाता है। हम  
समझते हैं कि यह मम्बरो के साथ बहुत  
नाजायज और गलत है। यह कहते हैं कि  
हरिजनों पर जुल्म हो रहा है पर यह खुद जुल्म  
करते हैं।

श्री उपसमाध्यक्ष (श्री श्याम लाल  
यादव) : श्री हर्षदेव मालवीय, कृपया आप  
जारी रखिए।

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: Sir, this Resolution naturally is receiving support but, Sir, unfortunately in our country the social disability which has been attached to a vast section of our population has been a black spot in our glorious history. I can never forget it.

Sir, I always remember the treatment which was meted out to Ekalavya by Dronacharya. Sir, you know that mythological story. Ekalavya was a so-called low caste man. He wanted to learn archery. He went to Dronacharya, the guru of the Kauravas and the Pandavas and asked him to teach him archery. Dronacharya said, "No, get out; you are a low caste man." Then Ekalavya went to the forest. There he put a moorti of Dronacharya and began practising archery, taking Dronacharya as his guru. In due course he became a first class archer. One day, Dronacharya was going about in the forest with Arjun, his most pet and expert disciple and there was a dog along with them. Then suddenly a number of arrows came and struck the dog in the mouth. No Hood came out of it but it started barfking. Then Dronacharya wondered who the marksman was. Soon he found Ekalavya and asked him who his guru was. Ekalavya said, "You are my guru" and showed him his moorti. Then Dronacharya asked him for *gurn-dakshina*. When Ekalavya asked him as to what he would have for *guru-dakshina*. Dronacharya asked for Eka-lavya's thumb. Then Ekalavya cut his thumb and presented it to Dronacharya as *guru-dakshiva*. After that, Ekalavya no more remained an archer.

So, Sir, such is the treatment given to our Scheduled Castes and Scheduled Tribes from times immemorial. But I would not be quite happy if our discussion of this problem in the context of today is reduced merely to the caste factor. Sir, it is not merely a Harijan

problem. We have to look at this protean) In a wider context, that is. in the context of the rural iwoblem. In a general way it in connected with the •ties also, but in a particular way the Harijan problem is a rural problem. Even after 30 years of our independence, after Gandhiji's great Harijan movement, this problem remains a serious problem. It is so because we in India have not succeeded as yet in solving the land problem. I view this Resolution in that; context.

Now, I would like to place before you certain hard facts: According to the census of 1971, the number of agricultural workers in India is 47.48 million. Don't forget that the vast majority of our agricultural workers are, by and large, Harijans, the lower caste people, as we call them in the Hindu society. It is to be noted that the number was 31.51 million in 1961 and 27.49 million in 1951. The proportion of agricultural labourers has risen steadily from 16.71 per cent of the total population in 1961 to 25.76 jper cent in 1971. The average annual income of an agricultural labour household in India for the period 1950-51, 1956-57 and 1963-64 was Rs. 417, Rs. 437 and Rs. 660, respectively. Though the •rices of agricultural products went up considerably in this period and cost index went up very high, the income of agricultural workers did not improve. However, in 1976, the rate of agricultural workers wages was somewhat increased. It ranged from Rs. 3 to Rs. 9 per day. It varied from State to State. But actually the agricultural workers could not get the benefit of increased rates in many places, as new wage rates could not be implemented, Aie to opposition of the vested interests. I will come to that later. In such circumstances, the agricultural workers have to depend heavily on •ensumption loan given by his em-ployer-cum-landlord. The usual practice is to take a Bag of paddy during the lean season when the prices are the highest and to return the quantum of paddy for the same money value

when the prices are the lowest, rt is found that for a maund of paddy that he takes for consumption when the prJBe of paddy is, say, Rs. 60 per maund, he will have to return 3 maunds of paddy at the harvest time when the price will come down to, say, Rs. 20 per maund. In the process, he pays an interest rate of anything between 200 per cent and above in actual life.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pra. desh):  
 In which State?

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: It is a general survey covering the whole of India.

SHRI N. G. RANGA: That is a wrong information.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: It may be a little less or a little more. But there is no doubt whatsoever, Rangaji, that what he pays it twice or thrice the loan which he gets. It is called consumption loan.

In the Approach Paper to the Fifth Five-Year Plan, it is stated: "Economic Development in the last two decades has resulted in all round increase in per capita income. The proportion of the poor defined as those below a basic minimum standard of consumption, has slightly come down. Yet the absolute number of people below the poverty line today is as large as it was two decades ago. And these people living in abject poverty constitute between two-fifths and one-half of all Indian citizens." The Planning Commission estimates that the share of the bottom 30 per cent of the population is only 13 46 per cent of the total private consumption.

Now, Sir, these are the hard facts of our life, to which we cannot shut our eyes. There have been attempts all along in the entire national movement, beginning mostly with U.P., Andhra Pradesh and Some other States when the Congress, leadership in tho pre-Independence days was quite *con*\*

[Shri Harsh Deo Malaviya]

scious of the land problem. Immediately after we got our independence, the Congress Governments in different States took steps to abolish landlordism. This was done. And along with this, there was a programme to fix a ceiling upon holdings. There was the Congress Agrarian Reforms Committee under Dr. J. C. Kumarappa. Our Rangaji was a member of that committee. I had also the good fortune to be associated with the committee. This committee submitted a report and one of the most important recommendations of this committee took note of the state of the landless in India. The vast majority of the population—I have just now given the figures—is landless. So apart from the abolition of intermediary interests, apart from the abolition of landlords between the State and the tiller—that was the most important thing—the second most important thing was to put a ceiling upon land holdings and distribute the surplus available to those people who were landless or those people who had one acre or two acres of land. The committee estimated that at least 50 per cent of the holdings in India were below two acres and 75 or 85 per cent of our holdings were uneconomic, an economic holding being a holding which is good enough to support a family of five persons. Only seven percent of the holdings were above 10 acres, and they were considered to be substantial cultivators. Then, there were huge landlords. There was circumvention of law, there was splitting of holdings, and many things. There was a programme to fix a ceiling upon holdings. Now, what happened to this law? Land ceiling was a measure of far-reaching consequences. The implementation of the ceiling laws in the States has yielded so far only 10 lakh acres. The ceiling laws were haltingly implemented. The surplus land available in the country exceeds 43 million acres. The calculation was that we should get at least 43 million acres. We got only 10 lakh acres. The official estimate prepared by the previous Government put the figure of surplus

land at 48 lakh acres. The operational land in the country being 400 million acres, the land distributed forms a mere 0.2 per cent of the total cultivable land. So our ceiling laws were reduced to a farce. Our expectation was that we would be able to get 48 lakh acres. But we got only 0.2 per cent of the total cultivable land. So we have utterly failed. Therefore, the condition of landlessness, the condition of poverty, the hunger for land continues. This is one aspect. Now I will try to place before you the question of bonded labour. It is unfortunate that our Governments did not give attention to the question of bonded labour all these years. But under the 20-point programme, concentrated attention was given to the question of bonded labour. In this House, on the 2nd December, in reply to a question this Government gave the following answer:

The latest available information about the number of bonded labourers identified, freed and rehabilitated as on October 31, 1977 is as follows:

In Andhra Pradesh, the total number of persons identified as bonded labour was 1,298: all of them were freed, but only 698 persons were rehabilitated.

In Bihar, identified—2,562; freed—2,301; rehabilitated—613.

Gujarat: identified—42. It is a lie. Freed—42; rehabilitated—42.

Karnataka: identified—64,000; freed—64,000; rehabilitated—only 4,663.

Orissa: identified—614; freed—373; rehabilitated—303. Sir, I will not take much of your time.

Rajasthan: identified—6,185; freed—5,583; rehabilitated—2,496.

U.P.: identified—19,242; freed—19,243; rehabilitated—12,805.

Now, the total is; identified—99,195; freed—98,101; rehabilitated—24,207.

These figures are wrong and false. To imagine that there are only 42 agricultural labourers in Gujarat is a travesty of facts, and, it is obvious that our Governments, whether of the Janata Party variety or even of the Congress variety, have not given due (Mention which is needed to the question of bonded labour.

Now remains the question, of Harijans, the problem of Harijans. Their poverty remains. In the field of peasant indebtedness we have been a big zero. The Central Banking Enquiry Committee—the famous Enquiry Committee—in 1931 under the British regime, which went into the question whether the volume of agricultural indebtedness was increasing or decreasing, said, there was a general consensus of opinion that the volume was increasing. A British civilian in the Punjab, Mr. M. L. Darling \_\_\_\_\_

**उपसभाध्यक्ष (श्री इशामतुल्लाह यादव) :**

**अब आपका समय हो गया आप समाप्त कीजिए ।**

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: मैं अभी खत्म कर दंगा । Mr. M. L. Darling estimated the total agricultural debt in 1921 as between Rs. 500 and Rs. 550 crores. In 1935 Mr. F. J. Thomas estimated it at Rs. 1500 crores, and in 1937 it came to Rs. 1800 crores. And today their indebtedness is somewhere around—differences exist of course—Rs. 5000 to Rs. 7000 crores. So what I want to point out is that Harijan problem is basically a problem of rural poverty and the solution to this problem lies in redistribution of land. And in this respect the policy of the Janata Government is very disastrous. In their economic policy they have said that they want a minimum of 2.5 acres floor limit; that is, no one should have less than 2.5 acres. This is a policy which is a kulak policy, because if you give 2.5 acres, if you put that as the minimum limit, then you have to eject lakhs and lakhs of those who are cultivating just half an acre or one

*the country*

acre. They have, to realise that the basic thing is the land hunger of the people; it is the land hunger which has to be satisfied. Only then the peasant will get a sense of possession; the peasant will get a sense of initiative. But unfortunately today the biggest ideologue of the Janata Party on its kisan front is Chaudhury Charan Singh. Chaudhury Charan Singh is nothing but a kulak par excellence. In the big rally which was organised yesterday there were no Harijans, no poor peasants; there were only rich peasants and kulaks brought from all round....

SHRI N. G. RANGA: I don't think that is fair.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: You may not think so. It is not necessary that you should believe everything I say.

• The point is this. If the problem of Harijans has to be solved, it has to be solved on the basis of land reforms. And for this first of all you have to satisfy the land hunger of the peasants. And for this it is necessary to have village committees; village committees comprising representatives, of the village. They are there today, but what is happening in these committees is this. On these committees are put the rich peasants, the upper, class peasants, and the poor Harijans who live in the village are far out of the village—the *mariyas*—and they are not put there. Therefore, the first thing you should have is land implementation committees in different villages on the basis of proper representation with special attention being given to those who are agricultural labourers, those who belong to lower castes. Those people must get a sense of possession, because in this country, as it is today, wealth counts. And when a man gets a holding, even the punditji goes to his house and gets his *dakshina*.

5.00 P.M.

So, Sir., this is No. 1. No. 2-is that it should be realised—and I

[Shri Harsh Deo Malaviya] am sure Shri Charan Singh will never realise because he is very much opposed to it—that unless the uneconomic holdings—the over-whelming majority of our holdings are uneconomic—are brought under co-operative farming and unless we take to co-operative farming...

SHRI N. G. RANGA: No, no.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: It need not necessarily be joint farming. It can be multipurpose co-operative...

SHRI N. G. RANGA: Service co-operatives.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: It is multipurpose also. It can be credit co-operative also and if possible we should have co-operative cultivation. We should have in different villages and certain blocks machine or tractor stations where we should have machines, tractors, good seeds and agricultural advisers so that the people of the area can take advantage of these facilities. Unless we do all these, these problems will not be solved. Therefore, my appeal to the Government, especially to the ideologue of their party, Shri Charan Singh, is that he should revise his opinion on the land question. Then he will quite agree with the suggestions that we in the Congress have been making all these years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): We will now take up the next item.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष जी, क्या इस पर बहस बंद हो गई ।

SHRI N. H. KUMBHARE (Maha rashtra): You have not called us from this side. I will not take much time..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Under the rules, we have to take up the next item.

श्री कल्पनाथ राय : रात नी बजे तक लोक सभा चली है हमारा हाउस भी चल सकता है ...

SHRI N. H. KUMBHARE: Under the rules, 5 o'clock is the limit. But five-minutes will not make much difference I will not take more than five minutes.

श्री कल्पनाथ राय : पूरे देश में लाठियाँ, गोलियाँ चली हैं ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please resume your seat-----

SHRI N. H. KUMBHARE: This is a non-official day. I want to make a submission. ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Both of you may take your seats. We will pass-on to the next item.

श्री कल्पनाथ राय : देश भर में लाठी, गोली चली है । क्या मंत्री महोदय जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

SHRI N. H. KUMBHARE: Sir, this is a non-official day. Therefore, I may be allowed just five minutes. I want your ruling-----

श्री कल्पनाथ राय : मंत्री महोदय से जांच का आश्वासन दिलाइये ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Under the rules, we cannot do it.

श्री कल्पनाथ राय : किस रुल के अंदर इस को बंद किया जा रहा है ?

SHRI N. H. KUMBHARE: My submission is this. This is a non-official day and, therefore, precedence should be given to the non-official business. I am only requesting you to give me five minutes. If precedence is not given to non-official work, it will be tantamount to encroachment on our rights. I would like to have only five minutes. This will not make much difference.



श्री कल्पनाथ राय : मैं पूछ रहा हूँ कि  
25 हजार अध्यापक जलों में बंद हैं . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Let me reply to his point of order. Nothing of what Shri Kalp Nath Rai says will go on record....

*Shri Kalp Nath Rai continued to speak.)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Under the rules, the discussion will conclude at 5 P.M. This is applicable to any non-official day also. The House had already agreed to take up the next time at 5 o'clock. Therefore, we are passing on to the next item.

SHRI N. H. KUMBHARE: My submission is....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): You are a senior Member and you know the rules. The Law Minister.

*(Shri Kalp Nath Rai continued to speak.)*

#### THE SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL, 1977

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

*(Shri kalp Nath Rai continued to speak.)*

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) :  
कल्पनाथ जी, आप अब आसन ग्रहण कीजिये।  
आप जो कुछ बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जा रहा है।

*[Shri Kalp Nath Rai Continued to speak.)*

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM (Andhra Pradesh): Sir, on a point of information\_\_\_\_\_

*(Interruptions)*

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra): Sir, we can have five or ten minutes more because this is noa-official business.... *(Interruptions)*... By this time I would have finished my speech. You should not have allowed him *(Interruptions)*.

*(Shri Kalp Nath Rai continued to speak)*

श्री देव राव पाटील : (महाराष्ट्र) उपसभाध्यक्ष जी, मरा एक मुझाव है। इस संकल्प पर बहुत से सदस्य बहस करना चाहत हैं, इसलिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय। मैं सदन टाइम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ।  
उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : इस संकल्प का समय समाप्त हो चुका है। सदन में दूसरा आइटम लिया जा चुका है। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, on a point of information.

SHRI N. H. KUMBHARE: Sir, already we have taken ten minutes and that time could have been given to me.

*(Interruptions)*

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir. I want to know front the Chair. . .

*(Interruptions) (Shri Kalp Nath Rai continued to speak.)*

SHRI N. H. KUMBHARE: Sir, he is speaking still. Already we have take\* ten minutes and I could have been given that time.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM. Sir, you are very well aware that with regard to Private Members' business. ...

*(Interruptions)*

*(Shri Kalp Nath Rai continued to speak.)*

SHRI SHANTI BHUSHAN: Sir, my task was already very light.-because this Bill is a very simple Bill and